भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड

सत्यमेव जयते





स्टेशन मास्टर



केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 08/2026

विषय-सूची

क्र. सं.	पैरा सं	सामग्री	पृष्ठ सं.
1	महत्वपूर्ण तिथियाँ	महत्वपूर्ण तिथियाँ	03
2	महत्वपूर्ण निर्देश	महत्वपूर्ण निर्देश – ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन जमा करना	04-05
3	3	महत्वपूर्ण निर्देश-परीक्षा प्रक्रिया	06
4	4	विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना	07-09
5	5	रिक्तियां	09
6	6	पद के लिए चिकित्सा मानक	10
7	7	राष्ट्रीयता/नागरिकता	10
8	8	आयु सीमा/आयु में छूट	11
9	9	शैक्षणिक योग्यता	12
10	10	परीक्षा शुल्क	12
11	10.2	अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी)	13
12	10.3	परीक्षा शुल्क की वापसी	13
13	11	लंबवत आरक्षण	14
14	11.3	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु आरक्षण	14
15	11.11	आर्थिकरूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	15
16	12	क्षैतिज आरक्षण	16
17	13	भूतपूर्व सैनिक	16
18	14	वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र	17
19	15	भर्ती प्रक्रिया	18
20	15.1	कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी)	18
21	15.2	कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी)	19
22	15.3	दस्तावेज़ सत्यापन (डीबी)	20
23	16	आवेदन कैसे करें	20
24	16.2	खाता बनाएं	20
25	16.4	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश	21
26	16.5	आवेदन के दौरान अभ्यर्थी का लाइव फोटो कैप्चर करना	21
27	16.6	अनिवार्य स्कैन किए जाने वाले दस्तावेज़	22
28	17	सामान्य सेवा केंद्र	23
29	18	एकीकृत रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट का विवरण	23
30	19	आवेदन का संशोधन	24
31	20	अमान्य आवेदन/अस्वीकृति	24
32	21	ई-कॉल पत्र पर निर्देश	25
33	22	मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्रों का प्रारूप	25
34	23	अनुचित व्यवहार/साधन का उपयोग	26
35	24	विविध	26
36	25	इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर	27

अनुलग्नकों की सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक सं.	सामग्री	पृष्ठ सं.
1	अनुलग्नक-ए	पोस्ट पैरामीटर	29
2	अनुलग्नक-बी	रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs) वार एवं रेलवे ज़ोनवार- रिक्तियों का विवरण	30
3	अनुलग्नक-I	अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप	31
4	अनुलग्नक-II	अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉनक्रीमीलेयर (ओबीसी-एनसीएल)प्रमाण-पत्रकाप्रारूप	32
5	अनुलग्नक-IIए	ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों द्वारा स्व-घोषणा	33
6	अनुलग्नक-III	आर्थिकरूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) द्वारा आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा	34
7	अनुलग्नक-IV	आर्थिकरूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र (ईबीसी)	35
8	अनुलग्नक-V	दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रोफार्मा	36
9	अनुलग्नक-VI	नेत्रविशेषज्ञ से चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा	37
10	अनुलग्नक-VI ए	चिकित्सा के लिए प्रोफार्मा पूर्व सैनिकों के लिए नेत्र विशेषज्ञ से प्रमाण पत्र	38
11	अनुलग्नक-VI बी	लेसिक सर्जरी के संबंध में प्रोफार्मा	39
12	अनुलग्नक-VIIसी	लेसिक सर्जरी करा चुके अभ्यर्थियों की चिकित्सा उपयुक्तता (अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु)	40
13	अनुलग्नक-VII	कार्यरत कर्मचारियों हेतु प्रमाण-पत्र का प्रारूप (भूतपूर्वसैनिक)	41
14	अनुलग्नक-VII(ए)	सिविल कर्मचारी के संबंध में पूर्व सैनिकों द्वारा घोषणा	42
15	अनुलग्नकVIII	फोटो बेमेल होने की स्थिति में ऑनलाइन जेनरेट किए गए फॉर्म का नमूना	43

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड

सत्यमेव जयते

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) संख्या - 08/2026 (स्टेशन मास्टर)

महत्वपूर्ण तिथियाँ

रोज़गार समाचार में सांकेतिक अधिसूचना की तिथि।	24.10.2026
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	27.10.2026
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	25.11.2026 (23:59 बजे)
जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	27.11.2026
आवेदन पत्र में सुधार हेतु संशोधन विंडो की तिथि (संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ) । कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएँ' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण तथा चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) में संशोधन नहीं किया जा सकता।	28.11.2026 से 07.12.2026 तक

नोट: विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 08/2026 को एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट अर्थात् https://rrb.indianrailways.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी इस साझा वेबसाइट से संबंधित व्यक्तिगत आरआरबी के वेबपृष्ठों पर जा सकते हैं (पैरा 18.0 देखें)। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक https://www.rrbapply.gov.in पर सक्रिय किया जाएगा।

1. भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे (जोनल रेलवे) में स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्डों (RRB) द्वारा इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के पैरा 7 में उल्लिखित पात्र भारतीय नागरिकों तथा अन्य पात्र राष्ट्रीयताओं के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) को 25.11.2026 को रात्रि 23:59 बजे तक ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।
2. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के परिणाम तथा पैनल में शामिल अभ्यर्थियों की सूची उपर्युक्त वेबसाइट पर संबंधित व्यक्तिगत आरआरबी के आधिकारिक वेबपृष्ठ पर अपलोड की जाएगी।

रिक्तियों का संक्षिप्त विवरण

पद का नाम	7वें सीपीसी पे लेवल	प्रारंभिक वेतन (₹.)	चिकित्सा मानक	सामान्य परिस्थितियों में निर्धारित आयु (01.01.2027 को)	कुल रिक्तियाँ सभीRRB में)
स्टेशन मास्टर	6	₹35,400	A-2	20–33 वर्ष	1,215
नोट: i) "(आरआरबी-वार एवं रेलवे ज़ोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक-बी में दिया गया है।)" ii) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) [OBC (NCL)], आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं भूतपूर्व सैनिक (ExSM) के लिए आरक्षण तथा आयु में छूट इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) में दिए गए विवरण के अनुसार लागू होगी।					

2. महत्वपूर्ण निर्देश - ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन जमा करना

2.1 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 25.11.2026 को रात्रि 23:59 बजे तक संबंधित पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

2.2 ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की एकीकृत वेबसाइट पर उपलब्ध इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) में दिए गए सभी निर्देशों एवं सूचनाओं को ध्यानपूर्वक और पूरी तरह पढ़ लें।

2.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के पैरा 18 में उल्लिखित एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर ही जाएँ तथा फर्जी वेबसाइटों और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दलालों से सावधान रहें।

2.4 अभ्यर्थियों के पास अपना स्वयं का मोबाइल नंबर तथा वैध एवं सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल- आईडी होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सक्रिय रखना आवश्यक है, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) भर्ती से संबंधित सूचनाएँ एसएमएस और/या ई-मेल के माध्यम से भेजेंगे। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर RRB विचार नहीं करेंगे।

2.5 आवेदन केवल पैरा 18 में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा किए जाने चाहिए। अभ्यर्थियों को अपने द्वारा चयनित आरआरबी में केवल एक ही आवेदन जमा करना आवश्यक है। अभ्यर्थी केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने का कोई भी प्रयास उसे भर्ती प्रक्रिया तथा आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्य घोषित किए जाने और वंचित किए जाने का कारण बनेगा।

2.6 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए पद संबंधी विवरण तालिका (अनुलग्नक-ए) तथा रिक्ति तालिका (अनुलग्नक-बी) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसके बाद ही वे अपनी पात्रता के अनुसार RRB तथा चयनित RRB के अंतर्गत रेलवे जोन का विकल्प चुनें। एक बार RRB का चयन कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। चयनित RRB का विकल्प अंतिम माना जाएगा।

2.7 अभ्यर्थियों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम मानी जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) आवेदनों की पात्रता की विस्तृत जाँच नहीं करेगा। इसलिए अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी, जो निर्धारित मूल पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगी।अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि से संबंधित आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संबंधित पद के लिए पात्र हैं। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज RRB द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय माँगे जाएँगे।यदि शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों की जाँच के बाद आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाणित नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।इसके अतिरिक्त, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या नियुक्ति के बाद भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी या गलत है, किसी प्रासंगिक जानकारी को छिपाया गया है अथवा अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

2.8 अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग–गैर-क्रीमी लेयर (OBC-NCL), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) की स्थिति अथवा शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि जैसे किसी अन्य लाभ का दावा करने के लिए, जहाँ अन्यथा कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, इस CEN के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को निर्णायक तिथि माना जाएगा।

2.9 अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) [OBC-NCL], आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा भूतपूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संबंधित नियमों एवं इस CEN में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं।अभ्यर्थियों के पास अपने दावे के समर्थन में नियमों एवं इस CEN के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने चाहिए।

2.10 ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर इस CEN के लिए दिए गए लिंक का उपयोग करना होगा। अभ्यर्थियों को केवल एक RRB चुनने तथा अधिसूचित पद के लिए केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को एक खाता (Account) बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने वर्ष 2024/2025/2026 में अधिसूचित किसी CEN के लिए पहले से ही खाता बनाया हुआ है, तो उसे इस CEN अर्थात् CEN संख्या 08/2026 के लिए आवेदन करने हेतु उसी खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करना

होगा।यदि अभ्यर्थी ने पहले खाता नहीं बनाया है, तो उसे इस CEN का आवेदन भरने से पहले 'खाता बनाएँ' (Create an Account) प्रक्रिया पूरी करनी होगी।अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे खाता बनाते समय सभी आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि खाता बन जाने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमत नहीं होगा।

2.11 अभ्यर्थियों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे 'खाता बनाएँ' (Create an Account) चरण के दौरान डिजिलॉकर (DigiLocker) या आधार (Aadhaar) का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण में अपनी पहचान प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन में विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान भी 'आधार सत्यापित करें' (Verify Aadhaar) सुविधा का उपयोग करके और अपने आधार संबंधी विवरण प्रदान करके पहचान प्रमाणित कर सकते हैं। CEN के लिए आवेदन अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। इससे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को स्वयं अधिक सुगम प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। यदि अभ्यर्थी अपनी पहचान एवं अन्य प्राथमिक विवरणों का सत्यापन किसी वैकल्पिक फोटो पहचान-पत्र के माध्यम से करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी अधिक कठोर एवं विस्तृत जाँच की जाएगी।

2.12 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संबंधित पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि यदि नियुक्ति से पहले होने वाली चिकित्सा जाँच के समय उन्हें उनके द्वारा चुने गए पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उन्हें किसी वैकल्पिक पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

2.13 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)/कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (CBAT) के लिए परीक्षा शहर का आवंटन तथा परीक्षा की तिथि तकनीकी एवं व्यवस्थागत व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। अभ्यर्थियों को CBT/CBAT में शामिल होने के लिए अन्य शहरों या राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शहर/केंद्र/तिथि/पाली में परिवर्तन के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.14 अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अंतिम तिथि से पहले पूरी कर लें। ऑनलाइन पंजीकरण के अंतिम दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट पर अत्यधिक भार होने के कारण एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना हो सकती है। उपर्युक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारण से यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम दिन तक पंजीकरण करने और/या आवेदन जमा करने में असमर्थ रहता है, तो इसके लिए RRB कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे।

2.15 ऑनलाइन आवेदन जमा करने तथा लागू शुल्क का भुगतान करने के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन में भरे गए विवरणों में संशोधन करना चाहता है, तो वह ₹250/- (गैर-वापसी योग्य) संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है।यह सुविधा 28.11.2026 से 07.12.2026 तक प्रत्येक संशोधन अवसर के लिए उपलब्ध होगी।हालाँकि, 'खाता बनाएँ' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण तथा चयनित RRB में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरणों में ईमेल- आईडी और मोबाइल नंबर भी शामिल हैं, जिनमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

2.16 दिनांक 07.12.2026 के बाद, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अनुरोध या अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे।

2.17 अनुचित साधनों का प्रयोग (Malpractices): परीक्षा/CBT में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बैठाते हुए अथवा प्रतिरूपण (Impersonation) का प्रयास करते हुए पाए जाने वाले किसी भी अभ्यर्थी को सभी RRB/RRC की परीक्षाओं में शामिल होने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।ऐसे अभ्यर्थी को रेलवे में किसी भी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि वह पहले से रेलवे में नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।इस संबंध में अभ्यर्थियों का ध्यान "सार्वजनिक परीक्षाएँ (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम एवं नियम, 2024" [THE PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT AND RULES, 2024] दिनांक 31.07.2026 को यथासंशोधित, की ओर आकर्षित किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण निर्देश - परीक्षा प्रक्रिया:

3.1 (क) **प्रतिबंधित वस्तुएँ**: मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियाँ, इयरफोन, ब्लूटूथ-सक्षम उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, पुस्तक, पेन, कागज, पेंसिल, रबर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, बेल्ट, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैकेटबंद/खुले खाद्य पदार्थ आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य वस्तुएँ परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र के अंदर केवल ई-कॉल लेटर ले जाने की अनुमति होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी पेन/पेंसिल नहीं ले जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को पेन उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों/पैरों पर हिना/मेहंदी न लगाएँ, क्योंकि इससे बायोमेट्रिक डेटा लेने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने के साथ-साथ उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है तथा उसे भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित किया जा सकता है।

(ख) **सामान रखने की व्यवस्था** (क्लोक रूम): परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लोक रूम की व्यवस्था उपलब्ध नहीं भी हो सकती है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन सहित कोई भी मूल्यवान अथवा प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा केंद्र पर न लाएँ।

3.2 परीक्षा के चरण: चयन प्रक्रिया में एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी, जिसके बाद कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (CBAT), दस्तावेज़ सत्यापन (DV) तथा चिकित्सा परीक्षण आयोजित किए जाएँगे।

3.3 कॉल लेटर: अभ्यर्थियों को एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक से परीक्षा शहर एवं तिथि संबंधी सूचना, ई-कॉल लेटर तथा यात्रा प्राधिकार (जहाँ भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।

3.4 विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग:

(क) कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (CBAT) के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग, एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में प्राप्त मेरिट के आधार पर, पात्र अभ्यर्थियों में से संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के अनुसार रिक्तियों की संख्या के 8 गुना तक की जाएगी। रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार यह संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

(ख) दस्तावेज़ सत्यापन (DV) एवं चिकित्सा परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की रिक्तियों के अनुपात में 1:1 के आधार पर की जाएगी। यह शॉर्टलिस्टिंग CBT एवं CBAT में प्राप्त अंकों की संयुक्त मेरिट के आधार पर की जाएगी। संयुक्त मेरिट निर्धारित करने के लिए CBT को 70% तथा CBAT को 30% वेटेज दिया जाएगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने CBAT परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ग) नकारात्मक अंकन: CBT में गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाएँगे।

(घ) एक से अधिक पालियों में आयोजित CBT के अंकों का सामान्यीकरण (नॉर्मलाइज़ेशन) किया जाएगा।

(ङ) दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से तथा एसएमएस और/या ई-मेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर) द्वारा सूचित किया जाएगा, ताकि वे दस्तावेज़ सत्यापन (DV) में सम्मिलित होने के लिए अपने ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकें। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम अपडेट और सूचनाओं को नियमित रूप से जाँचते रहें।

4. विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना

सामान्य निर्देश

4.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश पूर्णतः अनंतिम (प्रोविजनल) होगा तथा यह अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा।

4.2 अभ्यर्थियों को ईकॉल- लेटर जारी किए जाने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा उनकी अभ्यर्थिता को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। परीक्षा के समय, अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देने से पहले, उनके अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ उनके फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता तथा वास्तविकता का सत्यापन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों में भी अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता का सत्यापन किया जाएगा।

4.3 रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) पात्रता शर्तों का सत्यापन मूल दस्तावेज़ों के संदर्भ में तभी करेगा, जब अभ्यर्थी परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण हो जाएँगे और दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे। दस्तावेज़ सत्यापन के समय, RRB ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल सहायक दस्तावेज़ों से मिलान करेगा। आवेदन में घोषित जानकारी और सहायक दस्तावेज़ों के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा पात्रता मानदंडों (जैसे शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी, चिकित्सा मानक आदि) को पूरा न करने की स्थिति में अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा उसके बाद यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, तो उसकी अभ्यर्थिता अथवा नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति हो चुकी है, तो उसे तत्काल सेवा से हटा दिया जाएगा। साथ ही, ऐसे अभ्यर्थियों को RRB और RRC द्वारा आयोजित भविष्य की सभी परीक्षाओं में आजीवन सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

4.4 इस अधिसूचना के अंतर्गत किसी पद के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 25.11.2026 को 23:59 बजे तक प्राप्त हों। निर्धारित योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

4.5 एक से अधिक RRB में जानकारी और/या तथ्यों में मामूली परिवर्तन करके आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों अथवा एक ही RRB में एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन सीधे निरस्त कर दिए जाएँगे। ऐसे अभ्यर्थियों को RRB और RRC की भविष्य की सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

4.6 जिन अभ्यर्थियों को किसी RRB/RRC द्वारा आजीवन अथवा किसी निर्धारित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है और वह अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें इस अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन नहीं करना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता का पता चलने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में निरस्तीकरण कर दिया जाएगा।

4.7 भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) अथवा किसी अन्य सरकारी संगठन की सेवा से बर्खास्त किए गए अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

4.8 खाता बनाते समय अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम तथा जन्मतिथि केवल SSC /SSLC/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के परीक्षा प्रमाण- पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज विवरण के अनुसार ही भरना चाहिए।

4.9 यदि SSC/SSLC/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के प्रमाण- पत्र में उल्लिखित नाम में कोई परिवर्तन हुआ है, तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थानों पर अपना परिवर्तित नाम तथा SSC/SSLC/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के प्रमाण- पत्र में दर्ज नाम अलग-अलग दर्शाना चाहिए। हालाँकि, अन्य सभी विवरण SSC/SSLC/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र के अनुसार होने चाहिए तथा नाम परिवर्तन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।

4.10 ऐसे मामलों में, परिवर्तित नाम वाले किसी एक वैध फोटो पहचान- पत्र के साथ राजपत्र अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) अथवा लागू अन्य कानूनी दस्तावेज़ CBT/दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के समय प्रस्तुत करना होगा।

4.11 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पैरा 16.5 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी वर्तमान (लाइव) तस्वीर तथा पैरा 16.6 में उल्लिखित निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। धुँधली, अस्पष्ट अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने वाली तस्वीरों और/या हस्ताक्षरों वाले आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में निरस्त किए जा सकते हैं।

4.12 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर सभी दस्तावेज़ों पर एकसमान एवं समान होने चाहिए। हस्ताक्षर चलित हस्तलेख (रनिंग हैंड) में होने चाहिए, न कि ब्लॉक/बड़े अक्षरों में अथवा अलग-अलग अक्षरों में। बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को ऐसा करने से बचना चाहिए। CBT, कंप्यूटर आधारित

CBAT, दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण आदि के समय अलग-अलग शैली में हस्ताक्षर करने पर अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

4.13 परीक्षाओं तथा दस्तावेज़ सत्यापन (DV) की तिथियाँ एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर संबंधित व्यक्तिगत आरआरबी के आधिकारिक वेबपृष्ठ पर प्रकाशित की जाएँगी। सीबीटी, सीबीएटी तथा दस्तावेज़ सत्यापन (जहाँ लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर संबंधित व्यक्तिगत आरआरबी के आधिकारिक वेबपृष्ठ से ही डाउनलोड किए जाने चाहिए। कोई भी कॉल लेटर डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। ई-कॉल लेटर में उल्लिखित सीबीटी केंद्र, तिथि तथा पाली अंतिम मानी जाएगी। इनमें परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आरआरबी बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी/सीबीएटी और/या अतिरिक्त दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण आदि आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। साथ ही, तकनीकी बाधाओं/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी/सीबीएटी/दस्तावेज़ सत्यापन (DV)/चिकित्सा परीक्षण (ME) को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार भी आरआरबी के पास सुरक्षित रहेगा।

4.14 इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) में दर्शाई गई रिक्तियाँ अनंतिम हैं। रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बाद में इनमें परिवर्तन (वृद्धि/कमी) किया जा सकता है अथवा कुल रिक्तियाँ या किसी विशिष्ट रेलवे/इकाई/समुदाय की रिक्तियाँ शून्य भी की जा सकती हैं। आवश्यकता होने पर रेलवे द्वारा अतिरिक्त पद भी बाद में शामिल किए जा सकते हैं।

रेलवे प्रशासन अपने विवेकानुसार किसी भी चरण में अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इस संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियाँ रद्द किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने CBT में भाग लिया है। शुल्क वापसी के लिए कृपया पैरा 10.3 देखें।

4.15 रेलवे ज़ोन का विकल्प: भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण पूरे होने के बाद, RRB पात्र अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार रेलवे ज़ोन आवंटित करेंगे। यह आवंटन अभ्यर्थियों की मेरिट, चिकित्सा मानकों तथा रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन होगा। हालाँकि, प्रशासनिक हित में आवश्यक समझे जाने पर RRB अभ्यर्थियों को उनकी पसंद में शामिल न किए गए रेलवे ज़ोन का आवंटन भी कर सकते हैं, बशर्ते अभ्यर्थी आवंटित पद की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

यदि अभ्यर्थियों के पैनल में शामिल किए जाने में कमी रह जाती है अथवा अन्य आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो RRB आवश्यकता के अनुसार अभ्यर्थियों की मेरिट तथा उनके रेलवे विकल्पों के आधार पर मेरिट सूची में नीचे के अभ्यर्थियों पर विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.16 नियुक्ति का अधिकार: RRB द्वारा चयन किए जाने से अभ्यर्थियों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। RRB का कार्य उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को अनुशंसित करना है। इसके बाद संबंधित अधिकारी रिक्तियों की उपलब्धता तथा अभ्यर्थियों द्वारा पूर्ववृत्त एवं चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन नियुक्ति प्रस्ताव जारी करेंगे।

4.17 चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार केवल वजीफा (स्टाइपेंड) दिया जाएगा।

4.18 चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे में कार्यभार ग्रहण करते समय, जहाँ आवश्यक हो, जमानत बंधपत्र और/या क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करना होगा।

4.19 पदस्थापन: सामान्यतः, किसी रेलवे कर्मचारी को अपनी प्रथम नियुक्ति वाले रेलवे अथवा रेलवे प्रतिष्ठान में ही अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान कार्य करना होगा। उसे किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण का अधिकार के रूप में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

4.20 हालाँकि, सेवा की आवश्यकताओं के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग, रेलवे अथवा रेलवे प्रतिष्ठान में, जिसमें भारत के भीतर या बाहर स्थित कोई परियोजना भी शामिल है, स्थानांतरित कर सकता है। नवनियुक्त अभ्यर्थी द्वारा कम-से-कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी करने तक किसी अन्य रेलवे में स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित RRB का चयन उचित सावधानी एवं विचार-विमर्श के बाद करें।

4.21 अंतिम रूप से नियुक्त चयनित अभ्यर्थी प्रादेशिक सेना (टेरिटोरियल आर्मी) की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.22 निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा: निःशुल्क शयनयान श्रेणी (स्लीपर क्लास) का रेलवे पास केवल अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य है (यदि आवेदन में इसका विकल्प चुना गया हो)। निःशुल्क यात्रा प्राधिकार का लाभ उठाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम में 'हाँ' का विकल्प चुनना होगा तथा वैध जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी एवं अपलोड किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, भर्ती के विभिन्न चरणों, जैसे सीबीटी, सीबीएटी, दस्तावेज़ सत्यापन आदि

के लिए बुलाए जाने पर निःशुल्क शयनयान श्रेणी का रेलवे पास उनके ई-कॉल लेटर का हिस्सा होगा। निःशुल्क यात्रा प्राधिकार का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दर्ज करें। ऐसा न करने पर उनका यात्रा प्राधिकार यात्रा करने तथा आरक्षण प्राप्त करने के लिए अमान्य हो सकता है।

आरक्षण प्राप्त करते समय तथा यात्रा के दौरान, आरक्षण लिपिक और/या टिकट जाँच कर्मचारी अभ्यर्थी की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए मूल SC/ST जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहेंगे। इस यात्रा प्राधिकरण के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग का प्रयास करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है तथा अभ्यर्थी को RRB/RRC द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

4.23 RRB इस CEN के अंतर्गत भर्ती की शर्तों एवं नियमों में आवश्यकता तथा लागू प्रावधानों के अनुसार किसी भी चरण में बाद में परिवर्तन, संशोधन, जोड़ अथवा हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

4.24 RRB की चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण में, यहाँ तक कि पैनल में नाम शामिल किए जाने के बाद अथवा अभ्यर्थी की रेलवे में नियुक्ति हो जाने के बाद भी, यदि कोई अनजाने में हुई त्रुटि अथवा मुद्रण संबंधी गलती पाई जाती है, तो RRB परिणामों को रद्द करने अथवा संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त, RRB ऐसे अभ्यर्थियों के नाम चयन पैनल से हटाने तथा उनकी रेलवे नियुक्ति रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। यदि अभ्यर्थी पहले से नियुक्त हो चुका है, तो उसे रेलवे सेवा से हटाया जा सकता है।

4.25 RRB अभ्यर्थियों की सहमति से RRB की परीक्षाओं में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) तथा निजी संगठनों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि उन संगठनों में भर्ती के लिए इन अंकों का उपयोग किया जा सके। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय इस संबंध में अपनी सहमति दे सकते हैं अथवा सहमति देने से इनकार कर सकते हैं।

4.26 अभ्यर्थियों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से काफी पहले अपना आवेदन जमा कर दें तथा अंतिम समय की जल्दबाजी से बचें। अंतिम दिनों में इंटरनेट अथवा वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की संभावना के कारण यह सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन: CEN 08/2026 के ऑनलाइन आवेदन जमा करने से संबंधित प्रश्नों के लिए:

ईमेल: rrb.help@csc.gov.in

फोन: 9592001188 / 01725653333

समय: सभी कार्यदिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

4.27 यदि किसी भी कारणवश अभ्यर्थी अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए RRB जिम्मेदार नहीं होंगे।

5. रिक्तियाँ:

5.1 अधिसूचित पद के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), रेलवे तथा पदवार रिक्तियों का विवरण, जिसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) [OBC (Non-Creamy Layer)], आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा भूतपूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए रिक्तियों का आरक्षण शामिल है, अनुलग्नक-B में दिया गया है। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन की आवश्यकतानुसार इन रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

5.2 अधिसूचित पदों के पद संबंधी मानदंड (योग्यता, चिकित्सा मानक तथा पद की उपयुक्तता आदि) इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के अनुलग्नक-ए में शामिल हैं।

5.3 अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन की आवश्यकतानुसार इन रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

6. पदों के लिए चिकित्सा मानक:

6.1 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित आवश्यक चिकित्सा फिटनेस परीक्षणों में उत्तीर्ण होना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभ्यर्थी अपने द्वारा चुने गए पद से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं। रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा फिटनेस के महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक दृश्य तीक्ष्णता (Visual Acuity) का मानक है। चिकित्सा मानक नीचे दिए गए हैं:

चिकित्सा मानक	सामान्य शारीरिक फिटनेस	दृश्य तीक्ष्णता
A-2	सभी दृष्टियों से शारीरिक रूप से स्वस्थ	दूर दृष्टि: बिना चश्मे के 6/9, 6/9 (फॉगिंग टेस्ट के बिना।(निकट दृष्टि: Sn 0.6, 0.6 बिना चश्मे के । इसके अतिरिक्त, रंग दृष्टि (Color Vision), द्विनेत्री दृष्टि (Binocular Vision), रात्रि दृष्टि (Night Vision) तथा मायोपिक दृष्टि (Myopic Vision) संबंधी परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

(क) नोट: उपर्युक्त चिकित्सा मानक केवल सांकेतिक हैं, संपूर्ण नहीं हैं, तथा सामान्यतः अभ्यर्थियों पर लागू होते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली (Indian Railway Medical Manual — IRMM), खंड-I के अध्याय 5 को पढ़ें। यह निम्नलिखित वेबसाइट पर भी उपलब्ध है: www.indianrailways.gov.in → रेल मंत्रालय → रेलवे बोर्ड → स्वास्थ्य निदेशालय।

(ख) जिन अभ्यर्थियों ने अपवर्तन दोष (Refractive Error) को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी (LASIK Surgery) अथवा कोई अन्य शल्य चिकित्सा करवाई है, वे स्टेशन मास्टर के पद के लिए पात्र नहीं हैं। अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनुलग्नक VI-B में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्व-घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा मानक: भूतपूर्व सैनिकों पर भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली (IRMM), खंड-I के पैरा 534 में दिए गए अलग-अलग चिकित्सा मानक लागू होंगे। यह नियमावली www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू दृष्टि प्रमाण-पत्र के मानदंड अनुलग्नक VI ए में दिए गए दृष्टि प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप के अनुसार होंगे।

महत्वपूर्ण नोट: सभी अभ्यर्थियों को CBAT परीक्षा के समय अनुलग्नक VI अथवा अनुलग्नक VI ए (जो भी लागू हो) के अनुसार चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस प्रमाण-पत्र के बिना अभ्यर्थियों को CBAT परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.2 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे अपने द्वारा चुने गए पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपने द्वारा चुने गए पद के लिए निर्धारित चिकित्सा फिटनेस मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे उस पद के लिए पैनल में शामिल किए जाने हेतु उपयुक्त नहीं माना जाएगा तथा उसे कोई वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

6.3 यदि कोई अभ्यर्थी अपनी प्रारंभिक चिकित्सा जाँच के दौरान पद के लिए निर्धारित आवश्यक चिकित्सा मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करने तथा निर्धारित शर्तों का पालन करने पर चिकित्सा अपील करने का एक अंतिम अवसर दिया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर चिकित्सा अपील के विकल्प का लाभ उठाया है, उनके अपील में किए गए चिकित्सा परीक्षण का परिणाम अंतिम होगा तथा अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर चिकित्सा अपील के विकल्प का लाभ नहीं उठाया है, उनके मामले में केवल प्रारंभिक चिकित्सा जाँच के परिणाम पर ही विचार किया जाएगा।

7. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

7.1 अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी का होना चाहिए:

a) भारत का नागरिक, अथवा
b) नेपाल का नागरिक, अथवा
c) भूटान का नागरिक, अथवा
d) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों - केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया तथा वियतनाम से भारत आया हो।
e) उपर्युक्त श्रेणियों (b), (c) और (d) से संबंधित अभ्यर्थियों के पास भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

7.2 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, उन्हें अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification-DV) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

8. आयु सीमा/आयु में छूट:

8.1 रिक्तियों की तालिका में पद के लिए दर्शाई गई न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2027 के आधार पर की जाएगी।

8.2 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के वेतन स्तर-6 (स्नातक स्तर के पद) के लिए अभ्यर्थियों की जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए (दोनों तिथियाँ सम्मिलित हैं :)

आयु वर्ग	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा, दिनांक 01.01.2027 के अनुसार (इससे पहले नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा, दिनांक 01.01.2027 के अनुसार (इसके बाद नहीं)
	UR एवं EWS	OBC-नॉन क्रीमी लेयर	SC/ST	सभी समुदायोंश्रेणियों/ के लिए
20 to 33	02.01.1994	02.01.1991	02.01.1989	01.01.2007

टिप्पणियाँ:

i. इस तालिका में SC, ST और OBC-NCL के लिए दी गई जन्मतिथि की सीमाओं में संबंधित समुदाय के लिए आयु में छूट शामिल है।
ii. पैरा 8.3 की तालिका में उल्लिखित समुदायों/श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी नियमानुसार आयु में छूट के पात्र होंगे।

8.3 तथापि, निम्नलिखित समुदायों/श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएँ।

क्र. सं.	समुदाय/श्रेणी		अधिकतम आयु सीमा में छूट/अधिकतमआयु सीमा
1	OBC-नॉन क्रीमी लेयर (NCL)		3 वर्ष
2	SC/ST		5 वर्ष
3	ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी, जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 माह से अधिक की सेवा की है	UR एवं EWS	3 वर्ष (सेवा की अवधि को आयु से घटाने के बाद)
		OBC-NCL	6 वर्ष (सेवा की अवधि को आयु से घटाने के बाद)
		SC/ST	8 वर्ष (सेवा की अवधि को आयु से घटाने के बाद)
4	रेलवे में कार्यरत ग्रुप 'C' तथा पूर्ववर्ती ग्रुप 'D' के कर्मचारी, जिनकी न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा हो, साथ ही ऐसे स्थानापन्न कर्मचारी (Substitutes), जिन्होंने रेलवे में लगातार या रुकरुककर- न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की हो	UR& EWS	40 वर्ष की आयु
		OBC- NCL	43 वर्ष की आयु
		SC/ST	45 वर्ष की आयु
5	रेलवे संगठन के अर्धप्रशासनिक- कार्यालयों, जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों एवं संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थी	All	सभी श्रेणियाँ: की गई सेवा की अवधि या 5 वर्ष, जो भी कम हो
6	ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से पति से अलग हुई हों, लेकिन उन्होंने पुनर्विवाह न किया हो	UR& EWS	35 वर्ष की आयु
		OBC- NCL	38 वर्ष की आयु
		SC/ST	40 वर्ष की आयु

8.4 अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले SC/ST/OBC-NCL (नॉन क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

8.5 यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आधारों पर आयु में छूट का पात्र है, तो उसे उन सभी आधारों में से अधिकतम आयु छूट प्रदान की जाएगी, जिसके लिए वह पात्र है। (आयु में छूट संचयी नहीं होगी।)

8.6 अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन-पत्र में दर्ज की गई जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/SSLC/दसवीं कक्षा या समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज जन्मतिथि के समान होनी चाहिए। जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का अंतर पाए जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

9. शैक्षणिक योग्यताएँ:

अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के अनुलग्नक-क में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ होना अनिवार्य है। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

टिप्पणी: शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों, अर्थात् अनंतिम (Provisional) या नियमित (Regular) प्रमाण-पत्रों पर जारी करने की तिथि अंकित होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण-पत्रों को जारी करने की तिथि अधिसूचना की आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की है, तो अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि सहित समेकित अंकतालिका (Consolidated Mark Sheet) अथवा प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के परिणाम घोषित होने की तिथि सहित सभी सेमेस्टरों/वर्षों की अलग-अलग अंकतालिकाएँ प्रस्तुत करनी होंगी। यदि इनमें से किसी भी प्रमाण-पत्र पर परिणाम घोषित होने की तिथि उपलब्ध नहीं है, तो दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के समय संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें परिणाम घोषित होने की तिथि का उल्लेख हो।

10. परीक्षा शुल्क:

इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के अंतर्गत पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे दिया गया निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

क्र. सं.	अभ्यर्थियों की श्रेणी	शुल्क (₹)
1	सभी अभ्यर्थियों के लिए। (नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लिखित शुल्क में रियायत प्राप्त करने वाली श्रेणियों को छोड़कर), ₹500 के इस शुल्क में से ₹400 की राशि, लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद, CBT में उपस्थित होने पर वापस कर दी जाएगी।	500
2	महिला/ट्रांसजेंडर/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों तथा SC/ST/अल्पसंख्यक समुदायों/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) के अभ्यर्थियों के लिए। ₹250 का यह शुल्क, लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद, CBT में उपस्थित होने पर नियमानुसार वापस कर दिया जाएगा।	250

(**अभ्यर्थियों के लिए सावधानी**: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) न समझें। EBC प्रमाण-पत्र को कुछ राज्य सरकारों द्वारा जारी अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र से भी भ्रमित न करें।)

* EBC श्रेणी के अंतर्गत शुल्क में रियायत का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी:

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) के अंतर्गत शुल्क में रियायत का दावा करने से पहले इस CEN के पैरा 10.2 को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रियायती शुल्क का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन भरने के समय वैध दस्तावेज़, अर्थात् EBC प्रमाणपत्र-(अनुलग्नक-IV), BPL कार्ड, इज्जत MST अथवा केंद्र सरकार के किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में संबंधित विवरण दर्ज करना होगा तथा दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के समय उक्त दस्तावेज़ मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् 25.11.2026 के बाद जारी किए गए ईबीसी प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-IV), बीपीएल कार्ड, इज्जत एमएसटी अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले जारी वैध दस्तावेज़, अर्थात् ईबीसी प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-IV), बीपीएल कार्ड, इज्जत एमएसटी अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी अस्वीकृत की जा सकती है।

10.1 शुल्क भुगतान का माध्यम

a) इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा UPI के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्कों का वहन अभ्यर्थी को करना होगा।

b) अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से शुल्क भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

c) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे निरस्तीकरण के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.2 अल्पसंख्यक समुदाय एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC)

इस CEN के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (25.11.2026) तक प्राप्त संशोधन/विलोपन/समावेशन, यदि कोई हो, के अधीन अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा पारसी (जोरोस्ट्रियन) शामिल होंगे।

'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ-पत्र: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए शपथ-पत्र (अनुलग्नक-V के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) के अंतर्गत वे अभ्यर्थी आते हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹50,000 से कम है और जो रियायती शुल्क के पात्र हैं (उपर्युक्त पैरा 10 के अनुसार।) इसके लिए उनके पास निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ होना चाहिए:

a) आवेदन की तिथि को वैध आय प्रमाण-पत्र, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-III के अनुसार) में, जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटरहेड पर होना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

i. जिला मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार के पद से नीचे के स्तर का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।

ii. लोकसभा के वर्तमान सदस्य, अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए।

iii. राज्यसभा के वर्तमान सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहाँ वे सामान्यतः निवास करते हैं।

iv. केंद्रीय मंत्री, देश में कहीं के भी व्यक्तियों के लिए।

अथवा

b) BPL कार्ड अथवा केंद्र सरकार के किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी कोई अन्य प्रमाण-पत्र

अथवा

c) रेलवे द्वारा जारी इज्जत MST।

रियायती शुल्क का दावा करने वाले सभी EBC अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में वैध EBC प्रमाण-पत्र/BPL कार्ड/इज्जत MST का संबंधित विवरण भरना होगा। उक्त दस्तावेज़ दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के समय मूल रूप में भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी: आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तीन अलगअलग-श्रेणियाँ हैं। इस पैरा में परिभाषित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) के अभ्यर्थी केवल शुल्क में रियायत के पात्र हैं, नौकरी में आरक्षण के नहीं।

10.3 परीक्षा शुल्क की वापसी (CBT में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए)

a) जहाँ भी लागू हो, परीक्षा शुल्क की वापसी (लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद) केवल उस बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो अभ्यर्थी के आधार नंबर से लिंक है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को अपने आधार नंबर का सत्यापन करना होगा। सफल सत्यापन के बाद, आधार से पहले से लिंक बैंक खाता पुष्टि के लिए स्वतः प्रदर्शित होगा और उसी खाते का उपयोग शुल्क वापसी के लिए किया जाएगा। यदि आधार से लिंक कोई बैंक खाता नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थी को वास्तविक समय में आधारबैंक- खाता लिंक करने के लिए NPCI पोर्टल पर भेजा जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी को प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवेदन पृष्ठ पर वापस भेज दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का अपना बैंक खाता नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवार के किसी सदस्य का आधार से लिंक बैंक खाता प्रदान कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन अधूरा है, जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है अथवा जिनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, उनके द्वारा जमा किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

b) आधार से लिंक वैध एवं सक्रिय बैंक खाते की उपलब्धता सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। गलत, अमान्य अथवा निष्क्रिय बैंक खाते की लिंकिंग से संबंधित किसी भी पत्राचार या दावे पर RRB द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

c) आवेदन निरस्त होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा लिंक किया गया आधार-संबद्ध बैंक खाता निष्क्रिय पाए जाने की स्थिति में परीक्षा शुल्क की कोई वापसी देय नहीं होगी।

11. लंबवत आरक्षण (VERTICAL RESERVATION)

11.1 इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)-नॉन क्रीमी लेयर (NCL) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए, जहाँ भी लागू एवं स्वीकार्य हो, प्रचलित नियमों के अनुसार तथा मांगकर्ता रेलवे/उत्पादन इकाइयों द्वारा सूचित किए जाने के आधार पर, रिक्तियों की तालिका में उल्लिखित लंबवत आरक्षण का प्रावधान है।

टिप्पणी:

a) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तीन अलग-अलग श्रेणियाँ हैं।

b) EWS तथा OBC-NCL अभ्यर्थी, जहाँ भी लागू एवं स्वीकार्य हो, नौकरी में आरक्षण के पात्र हैं।

c) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) का अभ्यर्थी (जैसा कि उपर्युक्त पैरा 10.2 की टिप्पणी में परिभाषित किया गया है) नौकरी में आरक्षण का पात्र नहीं है।

11.2 सभी समुदायों के अभ्यर्थियों पर अनारक्षित (UR) रिक्तियों के विरुद्ध विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे UR अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हों। तथापि, विशिष्ट समुदायों (SC/ST/OBC-NCL/EWS) के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध केवल उन्हीं समुदायों के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं समुदायों को मिलेगा जिन्हें भारत सरकार द्वारा SC, ST, EWS तथा OBC-NCL के रूप में मान्यता प्राप्त है।

11.3 क्रीमी लेयर में आने वाले OBC अभ्यर्थी, OBC आरक्षण के पात्र नहीं हैं।

11.4 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए EWS, SC, ST तथा OBC-NCL अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के दौरान आवश्यक प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। ये प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किए गए होने चाहिए। SC एवं ST अभ्यर्थियों के लिए अनुलग्नक-I, OBC-NCL अभ्यर्थियों के लिए अनुलग्नक-II तथा EWS अभ्यर्थियों के लिए अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूपों का पालन किया जाना चाहिए।

11.5 OBC (नॉन क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र में विशेष रूप से निम्नलिखित उल्लेख होना चाहिए: "यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt.(SCT), दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। उक्त कार्यालय ज्ञापन में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-Estt.(Res.), दिनांक 13.09.2017* द्वारा संशोधन किया गया है।" (इस CEN के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगे के संशोधन, यदि कोई हों, भी लागू होंगे)।

11.6 "OBC श्रेणी" के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II) में जारी OBC (नॉन क्रीमी लेयर)प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र 01.04.2026 को या उसके बाद, लेकिन इस CEN के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया होना चाहिए। प्रमाण-पत्र संख्या, जारी करने की तिथि तथा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जाति का विवरण ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करना अनिवार्य है। OBC अभ्यर्थी की जाति OBC की वर्तमान अद्यतन केंद्रीय सूची में शामिल होनी चाहिए (http://www.ncbc.nic.in)।

दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के दौरान आरक्षण का दावा करने वाले OBC अभ्यर्थी को उपर्युक्त विवरण के अनुसार OBC (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, उसे अनुलग्नक-IIA में दिए गए प्रारूप में स्व-घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषित किया गया हो कि वह "आवेदन की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।" ऐसा न करने पर OBC-NCL के अंतर्गत आरक्षण का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों पर UR अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने की स्थिति में अनारक्षित (UR) अभ्यर्थियों के रूप में विचार किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें: राज्य सूची में शामिल, लेकिन OBC की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं होने वाली जातियों के अभ्यर्थी OBC आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं। केंद्रीय सूची की नवीनतम जानकारी http://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है।

11.7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 1052/2021, सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, में दिनांक 21.02.2022 को दिए गए निर्णय के आलोक में, ऐसे अभ्यर्थी जो (क) मूल रूप से लोहार/लोहारा/लोहरा जाति से संबंधित हैं तथा (ख) बिहार राज्य के निवासी हैं अथवा बिहार राज्य से अस्थायी या स्थायी रूप से अन्य राज्यों में प्रवासित हुए हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपना नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण-पत्र केवल दिनांक 01.04.2023 के बाद जारी किया गया होना चाहिए तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को वैध होना चाहिए। यह प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र में अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग–गैर-क्रीमी लेयर (OBC-NCL) के रूप में किए गए दावे को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए: (क) अनुसूचित जनजाति (ST) का दावा करने हेतु, बिहार सरकार के प्रपत्र-II के संदर्भ सहित इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के अनुलग्नक-I के अनुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग–गैर-क्रीमी लेयर (OBC-NCL) का दावा करने हेतु, बिहार सरकार के प्रपत्र-VIIA के संदर्भ सहित इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के अनुलग्नक-II के अनुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11.8 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 18802/2017, डॉ. भीमराव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, दिनांक 15.07.2024 के निर्णय के आलोक में, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उक्त निर्णय से पहले जारी ST/SC प्रमाण-पत्र हैं तथा जो:

a) मूल रूप से पान/पानर/सवासी/तांती-तंतवा (तांती-तंतवा) जाति से संबंधित हैं; तथा
b) बिहार राज्य के निवासी हैं अथवा केवल बिहार राज्य से अन्य राज्यों में अस्थायी/स्थायी रूप से प्रवासित हुए हैं,

उन्हें 01.09.2024 को या उसके बाद जारी नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र का विवरण अपलोड करना होगा, जिसमें उनकी जाति/समुदाय को संशोधित या सम्मिलित किया गया हो। भर्ती के लिए उनके समुदाय एवं जाति/जनजाति पर संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार विचार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के समय 01.09.2024 को या उसके बाद जारी नया जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित (UR) श्रेणी के अंतर्गत मानी जाएगी।

महत्वपूर्ण: ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा घोषित समुदाय या श्रेणी की स्थिति ही आरक्षण लाभ के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करेगी। इसके बाद समुदाय की स्थिति में किसी भी कारण से होने वाले परिवर्तन को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।

11.9 अभ्यर्थियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने द्वारा दावा किए गए आरक्षण के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। संबंधित दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने तक उनकी उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।

11.10 अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में तथा नियुक्ति के दौरान/बाद में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग–गैर-क्रीमी लेयर (OBC-NCL)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की स्थिति के संबंध में कोई धोखाधड़ीपूर्ण दावा अथवा किसी अन्य लाभ का दुरुपयोग सामने आता है, तो उनकी उम्मीदवारी अथवा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी को सभी आरआरबी एवं आरआरसी की परीक्षाओं में स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

11.11 EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षण: जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) [OBC-NCL] के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं तथा जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8 लाख (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु पात्र माना जाएगा। आय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि वाले वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों, अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से प्राप्त आय को शामिल किया जाएगा। इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 08/2026 के लिए, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25.11.2026 होने के कारण, संबंधित वित्तीय वर्ष 2025-26 होगा। यह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को वैध होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति होने पर, परिवार की आय चाहे कुछ भी हो, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा:

i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि।
ii. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट।
iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

EWS की पात्रता निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति की सीमा का आकलन करते समय परिवार के पास विभिन्न स्थानों/शहरों में स्थित संपत्तियों को एक साथ जोड़ा जाएगा।इस उद्देश्य के लिए "परिवार" में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, पति/पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे। EWS के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक-III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र ही EWS श्रेणी के दावे के लिए स्वीकार किया जाएगा:

a) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
b) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
c) तहसीलदार के पद से नीचे के स्तर का न होने वाला राजस्व अधिकारी।
d) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।
e) संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी।

EWS के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास इस CEN के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र- होना चाहिए। इसलिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण-पत्र संख्या, जारी करने की तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, जारी करने वाले जिले तथा राज्य का विवरण भरना होगा। इसके अतिरिक्त, इन अभ्यर्थियों को

दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय एवं संपत्ति के आधार पर जारी वैध आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों का पालन न करने पर EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी सामान्य (UR) श्रेणी की सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो उनके आवेदन पर केवल सामान्य (UR) रिक्तियों के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

11.12 SC/ST/OBC-NCL/EWS श्रेणियों के वे अभ्यर्थी, जो निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं, UR रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उन्हें UR अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। UR रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले SC/ST/OBC-NCL अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि, अभ्यर्थियों को आवेदन में अपनी वास्तविक समुदाय श्रेणी का उल्लेख करना होगा।

11.13 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए इस CEN के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की समुदाय संबंधी स्थिति ही मान्य होगी, बशर्ते वह पात्र हो। इसके बाद अभ्यर्थी की समुदाय संबंधी स्थिति में होने वाले किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)

12.1 इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) में सामाजिक समुदाय की परवाह किए बिना भूतपूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।

12.2 रिक्तियों की तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए आरक्षित रिक्तियाँ भी शामिल हैं।

12.3 भूतपूर्व सैनिक उन रिक्तियों के लिए पात्र हैं जो विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित हैं। यदि किसी पद के विरुद्ध ऐसी कोई रिक्ति आरक्षित नहीं है, तो वे नियमित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में वे आयु सीमा में छूट तथा शुल्क में छूट के पात्र बने रहेंगे।

13. भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen - ExSM)

13.1 भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक पर (लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) सेवा की हो। इसमें वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं, जिन्होंने रक्षा सुरक्षा कोर (Defence Security Corps), जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (General Reserve Engineering Force), लोक सहायक सेना तथा अर्धसैनिक बलों में सेवा की हो।

तथा

a) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो, सेवामुक्त किया गया हो अथवा सेवा से मुक्त किया गया हो, चाहे ऐसा उसकी स्वयं की इच्छा पर हुआ हो या नियोक्ता द्वारा किया गया हो, अथवा

b) जिसे सैन्य सेवा से संबंधित चिकित्सा कारणों या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई हो, अथवा

c) जिसे प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या कम किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो, अथवा

d) जिसने अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से मुक्ति प्राप्त की हो, बशर्ते कि यह मुक्ति उसकी स्वयं की इच्छा से, बर्खास्तगी के माध्यम से अथवा कदाचार या अक्षमता के कारण सेवामुक्त किए जाने के रूप में न हुई हो तथा उसे उपदान (Gratuity) प्रदान किया गया हो। इसमें प्रादेशिक सेना (Territorial Army) के ऐसे कार्मिक भी शामिल हैं, जो लगातार या अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा के लिए पेंशन प्राप्त कर रहे हों, अथवा

e) सेना डाक सेवा (Army Postal Service) के ऐसे कार्मिक, जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से मूल सेवा में वापस भेजे बिना पेंशन सहित सेवानिवृत्त हुए हों, अथवा सैन्य सेवा से संबंधित या उसके कारण बढ़े हुए चिकित्सा कारणों अथवा उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण सेना डाक सेवा से मुक्त किए गए हों तथा जिन्हें चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई हो, अथवा

f) ऐसे कार्मिक, जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक अवधि तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों, अथवा

g) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता, अथवा

h) ऐसे पूर्व रंगरूट, जिन्हें 01.02.2006 से चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो अथवा सेवा से हटाया गया हो तथा जिन्हें चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई हो।

13.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत ऐसे व्यक्ति, जो सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएँगे, अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियोजन के लिए आवेदन करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, ऐसे व्यक्तियों को संघ के सशस्त्र बलों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने तक वर्दी में सेवा छोड़ने

की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार, इस CEN के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होने की संभावना वाले सेवारत रक्षा कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों तथा उनके लिए आरक्षित न की गई रिक्तियों, दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उनके पास इस CEN के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए।

a) यदि चयन प्रक्रिया आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लेती है, तो केवल इस आधार पर अभ्यर्थी को भूतपूर्व सैनिक (ExSM) श्रेणी के अंतर्गत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्राप्त की है। जिस दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के लिए उसे सूचीबद्ध किया गया है, उस तिथि तक उसके मामले पर विचार किया जा सकता है।

b) ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति इस दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करने पर निर्भर होगी कि उसे सशस्त्र बलों से विधिवत सेवामुक्त/सेवानिवृत्त किया गया है तथा वह संबंधित नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार भूतपूर्व सैनिक (ExSM) के रूप में पात्र है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी को आवेदन के साथ संलग्न प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित वचनपत्र- अनुलग्नक-VII(A) के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

13.3 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को सशस्त्र बलों में सेवारत कार्मिकों को अनुलग्नक-VI के अनुसार "सेवा से संभावित सेवामुक्ति की तिथि सहित रोजगार प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र इस CEN के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को वैध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के समय अनुलग्नक-VII(A) के अनुसार स्व-घोषणा/वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी, जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'C' एवं 'D' (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU), स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि शामिल हैं) में पहले से ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत पूर्ववर्ती ग्रुप 'D' में उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए केवल भूतपूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित आयु में छूट का लाभ ही प्रदान किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों पर केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा।

13.5 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह बाद के रोजगार के लिए भी भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि किसी भी नागरिक रोजगार में शामिल होते ही भूतपूर्व सैनिक को अपने संबंधित नियोक्ता को इस CEN के अंतर्गत उन आवेदनों का विवरण देते हुए स्व-घोषणा/वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिनके लिए उसने प्रारंभिक नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इस घोषणा की पावती-युक्त प्रति तथा नागरिक नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह लाभ केवल सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली उन रिक्तियों के लिए उपलब्ध होगा, जहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

13.6 भूतपूर्व सैनिकों का चिकित्सा मानक भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली (Indian Railway Medical Manual - IRMM), खंड-I के पैरा 534 के अनुसार होगा। यह नियमावली www.indianrailways.gov.in पर देखी जा सकती है।

आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए विशेष टिप्पणी

SC/ST/OBC-NCL/EWS/ExSM के अंतर्गत आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संबंधित नियमों/CEN में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के पात्र हैं। अपने दावे के समर्थन में उनके पास नियमों/CEN में निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी आवश्यक प्रमाणपत्र- होने चाहिए।

14. वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र- (NOC)

14.1 रेलवे सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थी (जिनमें प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से गुजर रहे अभ्यर्थी भी शामिल हैं) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे आरआरबी में आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर/दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रस्तुत करें। ऐसा करने में विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी/पैनल में शामिल किए जाने की प्रक्रिया/नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी तथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी।

14.2 अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि यदि संबंधित RRB को उनके नियोक्ता से ऐसा कोई पत्र प्राप्त होता है, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने से इनकार किया गया हो, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

15. भर्ती प्रक्रिया

अभ्यर्थी द्वारा एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थी केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है। एक बार आरआरबी का चयन कर लेने के बाद वह अंतिम माना जाएगा। एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा अभ्यर्थी को आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

a) एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT),
b) कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षण (CBAT),
c) दस्तावेज़ सत्यापन (DV), तथा
d) चिकित्सा परीक्षण।

चयन उपर्युक्त भर्ती के चरणों के आधार पर, पूर्णतः मेरिट के अनुसार किया जाएगा। सीबीटी, सीबीएटी, दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण अथवा लागू होने वाली किसी अन्य अतिरिक्त गतिविधि की तिथि, समय एवं स्थान आरआरबी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा पात्र अभ्यर्थियों को इसकी सूचना यथासमय दी जाएगी। तथापि, आरआरबी आवश्यकता समझे जाने पर सभी अभ्यर्थियों अथवा अभ्यर्थियों की सीमित संख्या के लिए, जैसा कि आरआरबी उचित समझे, अतिरिक्त सीबीटी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उपर्युक्त किसी भी गतिविधि को स्थगित करने अथवा उसके स्थान, तिथि एवं पाली में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को 'Create Account' अर्थात् 'खाता बनाएँ' का विकल्प दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 में अधिसूचित CEN के लिए पहले से खाता बनाया हुआ है, तो उसे इस CEN के लिए लॉग-इन करके आवेदन करने हेतु उन्हीं खाते के लॉग-इन विवरणों का उपयोग करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने पहले खाता नहीं बनाया है, उन्हें इस CEN के लिए आवेदन भरने से पहले 'Create an Account' करना होगा। अभ्यर्थियों को खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाता बन जाने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार अनुमत नहीं होगा। 'Create an Account' फॉर्म में भरे गए विवरण, जिनमें मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी शामिल हैं, खाता बन जाने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकेंगे।

15.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

a) कुल अवधि: 120 मिनट
b) कुल प्रश्न: 100
c) इसमें नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा।
d) अनेक शिफ्टों में आयोजित CBT के लिए सामान्यीकरण किया जाएगा।

CBT स्क्रीनिंग प्रकृति की परीक्षा है तथा इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर सामान्यतः संबंधित पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानकों के अनुरूप होगा। CBT के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग मेरिट के अनुसार CBAT के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु किया जाएगा।

OBC (NCL)/SC/ST/EWS तथा ExSM के आरक्षण लाभ के आधार पर CBAT के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के सभी आगामी चरणों में भी केवल संबंधित OBC (NCL)/SC/ST/EWS तथा ExSM श्रेणी के अंतर्गत ही विचारार्थ लिया जाएगा।

CBT का पाठ्यक्रम: प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा उनमें बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। प्रश्नों में निम्नलिखित विषय शामिल होने की संभावना है:

1) मूलभूत विज्ञान, गणितीय एवं विश्लेषणात्मक क्षमता (60 अंक)

a. मूलभूत विज्ञान एवं गणित (30 अंक): संख्या पद्धति, अनुपात एवं समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि एवं छूट, समय, गति, दूरी, शक्ति एवं कार्य, बीजगणित, रैखिक समीकरण, अंकगणितीय प्रगति, लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), महत्तम समापवर्तक (HCF), ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रायिकता एवं सांख्यिकी (दोनों केवल मूलभूत स्तर पर), इकाइयाँ, मापन, द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, घर्षण, गति, वेग, सापेक्ष वेग, ऊष्मा एवं तापमान, मूलभूत विद्युत, उत्तोलक तथा सरल मशीनें।

b. डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या (30 अंक): बहुस्रोत- डेटा विश्लेषण-पाठ्य सामग्री, सारणीबद्ध डेटा तथा ग्राफ़ के रूप में प्रस्तुत डेटा (चार्ट, ग्राफ़, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, सांख्यिकीय वक्र वितरण, वेन आरेख) से जानकारी की जाँच, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालना, डेटा पर्याप्तता तथा डेटा व्यवस्था।

2) तार्किक क्षमता (20 अंक)

a. तार्किक विवेचन: द्विआधारी तर्क, न्यायवाक्य (Syllogism), घड़ियाँ एवं कैलेंडर, मान्यताएँ, रक्त संबंध, पारिवारिक वृक्ष तथा तर्कआधारित- पहेलियों को हल करना।

b. पठन बोध: इतिहास, समाज, साहित्य, विज्ञान, पर्यावरण, अमूर्त विषयों, पौराणिक कथाओं, प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति से संबंधित किसी भी विषय पर अंग्रेज़ी भाषा में पठन-बोध के अनुच्छेद और प्रश्न दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को दिए गए अनुच्छेद के मुख्य विचार, सहायक विचार, अनुप्रयोग, तार्किक संरचना एवं शैली को समझकर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

3) मानसिक तर्कशक्ति (20 अंक)

सादृश्य-दो वस्तुओं के बीच संबंध की पहचान करके उसे दूसरी जोड़ी पर लागू करना, श्रृंखला पूर्ण करना-संख्याओं के क्रम में पैटर्न की पहचान करके अगली संख्या का अनुमान लगाना; कोडिंग-डिकोडिंग प्रकार के प्रश्न हल करना, रैंकिंग एवं व्यवस्था पर आधारित प्रश्न हल करना।

यह ध्यान दिया जाए कि ऊपर सूचीबद्ध विषय केवल उदाहरणात्मक हैं तथा आवश्यक नहीं कि वे संपूर्ण हों।

अनुभागवार वितरण

परीक्षा की अवधि (मिनट में)	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक का)			प्रश्नों की कुल संख्या
	मूलभूत विज्ञान, गणितीय एवं विश्लेषणात्मक क्षमता	तार्किक क्षमता	मानसिक तर्कशक्ति	
120	60	20	20	100

उपर्युक्त तालिका में दिया गया अनुभागवार वितरण केवल सांकेतिक है। वास्तविक प्रश्नपत्रों में कुछ भिन्नताएँ हो सकती हैं।

विभिन्न श्रेणियों के लिए अर्हक अंकों का न्यूनतम प्रतिशत: UR- 40%, EWS- 40%, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर)-30%, SC- 30%, ST- 25% यह प्रावधान भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों पर भी उनकी संबंधित सामुदायिक श्रेणी के अनुसार लागू होगा।

15.2 कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षण (CBAT)

सीबीएटी के लिए प्रत्येक समुदाय अर्थात् अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग–गैर-क्रीमी लेयर (OBC-NCL), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) (भूतपूर्व सैनिकों (ExSM) सहित) से आरआरबी-वार रिक्तियों की संख्या के 8 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सीबीएटी के दौरान निर्धारित प्रारूप में अनुलग्नक-VI/अनुलग्नक-VIA के अनुसार मूल दृष्टि प्रमाण-पत्र (Vision Certificate) प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें सीबीएटी में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

CBAT में प्रश्न और उत्तर के विकल्प केवल अंग्रेज़ी एवं हिंदी में उपलब्ध होंगे।

अर्हक अंक: अर्हता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक टेस्ट बैटरी में न्यूनतम T-Score 42 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह सभी अभ्यर्थियों पर, उनकी समुदाय या श्रेणी-SC/ST/OBC-NCL/EWS/ExSM-से निरपेक्ष, लागू होगा। न्यूनतम T-Score में कोई छूट अनुमत नहीं है।

स्टेशन मास्टर पद के लिए विचार किए जाने हेतु अभ्यर्थियों को CBAT की प्रत्येक टेस्ट बैटरी में अर्हता प्राप्त करनी होगी। CBAT में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

मेरिट सूची केवल CBAT में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से तैयार की जाएगी। इसमें CBT में प्राप्त अंकों को 70% तथा CBAT में प्राप्त अंकों को 30% वेटेज दिया जाएगा।

CBAT के संबंध में जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को RDSO की निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाने की सलाह दी जाती है: - rdso.indianrailways.gov.in → Verticals → Traffic and Psychology → Psychology-Candidate's Corner

तथा

https://rdso.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0Gid=0,2,456,5821,611G.

मेरिट सूची केवल CBAT में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तैयार की जाएगी।

15.3 दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

CBAT में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसमें CBT में प्राप्त अंकों को 70% तथा CBAT में प्राप्त अंकों को 30% वेटेज दिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट तथा रेलवे विकल्पों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो उनकी मेरिट स्थिति आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को उच्च मेरिट स्थान दिया जाएगा। यदि आयु भी समान हो, तो बराबरी की स्थिति का निर्धारण अभ्यर्थी के दिए गए नाम (उपनाम नहीं) के अंग्रेज़ी वर्णक्रम (A से Z) के अनुसार किया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होने, शैक्षणिक एवं सामुदायिक प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन तथा अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन होगी। अभ्यर्थी ध्यान दें कि RRB केवल पैनल में शामिल अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा करता है तथा नियुक्ति केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा ही प्रदान की जाती है।

दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। सत्यापन की तिथि पर मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूर्ण होने पर, आरआरबी पात्र अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट, चिकित्सा मानक तथा रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन, उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार रेलवे ज़ोन/उत्पादन इकाई आवंटित करेगा। एक बार अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट एवं प्राथमिकता के अनुसार पैनल में शामिल कर लिए जाने के बाद, वे अगले वरीयता क्रम वाले ज़ोन/इकाई के लिए अपनी पसंद पर विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे। तथापि, आरआरबी प्रशासनिक हित में, पात्रता संबंधी आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ऐसा रेलवे ज़ोन/इकाई भी आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिसे अभ्यर्थी ने अपने विकल्पों में नहीं चुना हो।

15.4 अंकों का सामान्यीकरण

जब समान पाठ्यक्रम के लिए CBT अनेक सत्रों में आयोजित की जाती है, तब भर्ती के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।

16. आवेदन कैसे करें

16.1 ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थियों को विस्तृत CEN में दी गई सभी सूचनाओं एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि गलतियों से बचा जा सके।

16.2 RRB के साथ खाता बनाएँ:

a) अभ्यर्थी को सबसे पहले नीचे पैरा 18 में सूचीबद्ध एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक का उपयोग करके इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के लिए एक खाता (अकाउंट) बनाना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने पिछले आरआरबी केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाओं (CEN) के लिए पहले से ही खाता बना रखा है, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन करने हेतु भी एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से उसी लॉग-इन क्रेडेंशियल्स (यूज़र आईडी एवं पासवर्ड) का उपयोग करना होगा।

b) खाता बनाने के दौरान आवश्यक OTP प्राप्त करने के लिए वैध व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और सक्रिय ई-मेल आईडी अनिवार्य हैं।

c) 'Create an Account' फॉर्म में दर्ज विवरणों में बाद में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं होगा। इसमें मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी शामिल हैं।

d) अतः अभ्यर्थियों को सभी जानकारी सावधानीपूर्वक एवं सही-सही भरने की दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है, क्योंकि खाता बन जाने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार या संशोधन अनुमत नहीं होगा।

16.3 पहचान प्रमाणीकरण संबंधी परामर्श

a) अभ्यर्थियों को अपने हित में दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे 'Create an Account' प्रक्रिया के दौरान DigiLocker या आधार के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाणीकरण करें।

b) ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सत्यापन अधिक सुगम एवं त्वरित हो सकेगा।

c) कृपया ध्यान दें कि जो आवेदक वैकल्पिक फोटो पहचान-पत्रों के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भर्ती के प्रत्येक चरण में अपेक्षाकृत अधिक कठोर एवं विस्तृत जाँच से गुजरना होगा।

16.4 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश

a) अभ्यर्थियों को इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के अंतर्गत आवेदन करने के लिए केवल एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक का ही उपयोग करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) में दी गई सभी जानकारियों एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

b) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सही जानकारी भरनी होगी तथा आवेदन जमा करने से पहले उसकी पुनः जाँच करनी होगी।

c) आवेदन जमा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा। (अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध आवेदन संशोधन अवधि को छोड़कर।)

d) परीक्षा का माध्यम: CBT के प्रश्न अंग्रेज़ी, हिंदी तथा 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं-असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू-में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक को परीक्षा के माध्यम के रूप में चुनना होगा। आवेदन के समय भाषा का विकल्प चुन लेने के बाद उसमें कोई परिवर्तन अनुमत नहीं होगा। CBT के प्रश्न चयनित भाषा तथा अंग्रेज़ी में प्रदर्शित किए जाएंगे।

e) चयनित RRB के अंतर्गत ज़ोन वरीयता का क्रम: अभ्यर्थी को अधिसूचित पद के लिए ज़ोन की वरीयता का क्रम देना होगा।

f) आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क के भुगतान का तरीका चुनने के लिए निर्देशित किया जाएगा, जैसा कि पैरा 10.1 में बताया गया है। इसके बाद भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

g) महत्वपूर्ण: इस CEN के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के लिए भुगतान के माध्यम की प्रामाणिकता तथा आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि के संबंध में सावधानी बरतें। भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।

h) अंततः, ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति तभी होगी जब शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त हो जाएगी। सफल ऑनलाइन भुगतान की पुष्टि आवेदक को ई-मेल एवं SMS के माध्यम से प्राप्त होगी।

i) विभिन्न आरआरबी अथवा एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया और आरआरबी एवं आरआरसी की भविष्य की भर्तियों से अयोग्य घोषित कर वंचित कर दिया जाएगा।

16.5 आवेदन के दौरान अभ्यर्थी का लाइव फोटो लेना:

आवेदन के दौरान अभ्यर्थी का लाइव फोटो लेने हेतु निर्देश:

a) अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय पहले से उपलब्ध फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

b) आवेदन मॉड्यूल को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी का लाइव फोटो लिया जा सके।

c) लाइव फोटो कंप्यूटर/लैपटॉप के वेबकैम अथवा मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से लिया जा सकता है।

d) लाइव फोटो लेते समय पृष्ठभूमि पूरी तरह सादी एवं सफेद होनी चाहिए। पृष्ठभूमि में किसी भी प्रकार के दृश्य, पौधे, मनुष्य अथवा जानवरों के चित्र नहीं होने चाहिए। अभ्यर्थी को ऐसे उचित वस्त्र पहनने चाहिए जिनसे कंधे एवं छाती ढकी रहे। पृष्ठभूमि के साथ उचित कंट्रास्ट बनाए रखने के लिए सफेद रंग के वस्त्र न पहनें; अधिमानतः सादे गहरे रंग के वस्त्र पहनें।

e) इस उद्देश्य के लिए, आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर अभ्यर्थी को कैमरे के सामने खड़ा होना या बैठना होगा तथा नीचे दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा:

   i. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आँखों के स्तर पर स्थित हो।

   ii. कैमरे के ठीक सामने रहें और चेहरे पर सामान्य भाव रखते हुए सीधे सामने देखें।

   iii. सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा आवेदन मॉड्यूल द्वारा दर्शाए गए फ्रेम के बीच में हो।

   iv. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे से न तो बहुत अधिक पास हो और न ही बहुत दूर। सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा निर्धारित फ्रेम से बाहर नहीं होना चाहिए। फोटो के कुल क्षेत्रफल का कम-से-कम 50% भाग सिर का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, फोटो में कोहनी एवं कोहनी के नीचे का भाग तथा छाती के नीचे का भाग दिखाई नहीं देना चाहिए।

   v. फोटो लेते समय टोपी, मास्क या चश्मा न पहनें। बालों, कपड़े, मास्क या किसी अन्य आवरण से चेहरे का कोई भी हिस्सा ढका नहीं होना चाहिए तथा पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। चेहरे पर छाया नहीं होनी चाहिए और अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि में अत्यधिक रोशनी नहीं होनी चाहिए। लिए गए फोटो का रिज़ॉल्यूशन, स्पष्टता एवं चमक उचित होनी चाहिए।

   vi. फोटो लेते समय आँखें पूरी तरह खुली होनी चाहिए, अन्यथा फोटो नहीं लिया जाएगा। बंद आँखों वाले फोटो को अस्वीकार किया जा सकता है।

vii. अभ्यर्थी अपने लिए गए फोटो का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। यदि वे फोटो से संतुष्ट नहीं हैं, तो आवेदन जमा करने तक दोबारा फोटो ले सकते हैं।

viii. इन निर्देशों का पालन न करने वाले फोटो के साथ प्रस्तुत आवेदनों को अस्वीकार किया जा सकता है।

ix. भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी का हुलिया आवेदन के साथ प्रस्तुत फोटो से मेल खाना चाहिए।

x. लिए गए लाइव फोटो का सत्यापन किया जाएगा तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो पहचान-पत्रों के साथ उसका मिलान किया जाएगा। यदि फोटो का मिलान नहीं होता है, तो अभ्यर्थी को उपयुक्त घोषणाओं की पुष्टि करने के बाद ऑनलाइन आवेदन से अनुलग्नक-VIII (Annexure VIII) डाउनलोड करना होगा। पहचान के वैध प्रमाण के रूप में उक्त अनुलग्नक को राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करवाकर अपलोड करना आवश्यक होगा।

महत्वपूर्ण नोट: अभ्यर्थियों को पहले से उपलब्ध मुद्रित या डिजिटल फोटो की तस्वीर लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा फोटो प्रस्तुत करने वाले किसी भी आवेदन को बिना किसी अतिरिक्त विचार के सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

16.6 ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने हेतु आवश्यक स्कैन किए जाने वाले दस्तावेज़। निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:

a. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

i) CEN में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार JPG/JPEG प्रारूप में।

ii) हस्ताक्षर केवल अभ्यर्थी द्वारा ही किए जाने चाहिए।

iii) सफेद कागज़ पर काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करें।

iv) हस्ताक्षर सामान्य प्रवाहपूर्ण हस्तलेखन में होने चाहिए, अर्थात् जुड़े हुए अक्षरों में। हस्ताक्षर BLOCK, CAPITAL या अलग-अलग अक्षरों में नहीं होने चाहिए। हस्ताक्षर स्पष्ट, सुपाठ्य तथा स्कैन किए गए क्षेत्र में पूर्ण रूप से दिखाई देने चाहिए।

v) हस्ताक्षरित कागज़ को न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन पर स्कैन करें।

vi) इमेज फ़ाइल प्रारूप: केवल JPG/JPEG।

vii) फ़ाइल का आकार: 30 KB से 49 KB के बीच।

viii) इमेज के आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊँचाई।)

ix) स्कैन किए गए हस्ताक्षर को आवेदन फॉर्म में निर्धारित स्कैन बॉक्स के भीतर रखा जाना चाहिए।

x) फॉर्म में बॉक्स का आकार: 50 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊँचाई।) हस्ताक्षर की इमेज इस बॉक्स के बीच में होनी चाहिए।

b. SC/ST प्रमाणपत्र (निःशुल्क रेल यात्रा पास का अनुरोध करने वाले अभ्यर्थियों के लिए) SC/ST श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार अपने SC/ST प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी:

i) दस्तावेज़ केवल PDF प्रारूप में होना चाहिए।

ii) फ़ाइल का आकार 400 KB से कम होना चाहिए।

iii) प्रमाणपत्र स्पष्ट, सुपाठ्य तथा आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए।

iv) प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नवीनतम एवं वैध होना चाहिए।

c. हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन **आवेदन अस्वीकृति** के आधार: हस्ताक्षर से संबंधित निम्नलिखित कारणों से CEN के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकृत की जा सकती है:

i) सफेद रंग की पृष्ठभूमि का उपयोग न करना।

ii) हस्ताक्षर के लिए काली स्याही के अतिरिक्त किसी अन्य रंग की स्याही का उपयोग करना।

iii) सामान्य प्रवाहपूर्ण हस्तलेखन के बजाय BLOCK या CAPITAL अक्षरों में हस्ताक्षर करना।

iv) कम रिज़ॉल्यूशन वाली या अस्पष्ट हस्ताक्षर इमेज।

v) अधूरे या आंशिक रूप से दिखाई देने वाले हस्ताक्षर।

vi) हस्ताक्षर के अतिरिक्त किसी अन्य इमेज को अपलोड करना।

vii) हस्ताक्षर न होना (खाली स्थान।)

viii) हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान लगाना।

ix) आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होना।

अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी हस्ताक्षर इमेज निर्धारित आवश्यकताओं के पूर्णतः अनुरूप हो, ताकि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन अस्वीकृत होने से बचा जा सके।

महत्वपूर्ण: आवेदन पर किए गए हस्ताक्षर निम्नलिखित अवसरों पर लिए गए हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए:

परीक्षाएँ (CBT एवं CBAT),
दस्तावेज़ सत्यापन (DV),
चिकित्सा परीक्षण (ME), तथा नियुक्ति।

16.7 जमा किए गए आवेदन के विवरण में संशोधन: आवश्यक शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से जमा करने के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी किसी विवरण में संशोधन, परिवर्तन या सुधार करना चाहता है, तो वह प्रति संशोधन ₹250 का गैरवापसी- योग्य संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। हालाँकि, 'Create an Account' फॉर्म में भरे गए विवरण तथा चयनित RRB में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

a. 'Create an Account' फॉर्म में दर्ज विवरण तथा 'Chosen RRB' अर्थात् चयनित RRB को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता।
b. संशोधन विंडो 28.11.2026 से 07.12.2026 तक खुली रहेगी।
c. 07.12.2026 के बाद संशोधन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
d. अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले सभी जानकारी सावधानीपूर्वक जाँच लेने की सलाह दी जाती है।

16.8 ऑनलाइन आवेदन में वर्तमान पते को भरने के लिए दिशानिर्देश:

a. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन में भरा गया वर्तमान पता सही एवं पूर्ण हो।
b. अभ्यर्थी को दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के समय वर्तमान पते के समर्थन में मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के दौरान ऑनलाइन आवेदन में भरे गए वर्तमान पते के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी अस्वीकृत की जा सकती है।
c. जिन अभ्यर्थियों के पास अपने वर्तमान पते का कोई दस्तावेज़ी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार कार्ड अथवा सरकार द्वारा जारी किसी अन्य वैध पहचान-पत्र/पते के प्रमाण में अपना वर्तमान पता दर्ज कराने हेतु उसे अद्यतन करवा लें।
d. पैनल में शामिल अभ्यर्थियों के मामले में, ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पतों पर पुलिस सत्यापन किया जाएगा।

17. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ईगवर्नेंस- योजना (NeGP) का एक हिस्सा है। इसका प्रबंधन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) द्वारा किया जाता है। देशभर में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) उपलब्ध हैं, जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने तथा ईवॉलेट- के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने में आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक खोलें: Find My CSC: https://findmycsc.nic.in/csc/

18. एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट का विवरण:

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित प्रामाणिक जानकारी एवं नियमित अद्यतन प्राप्त करने तथा इस अधिसूचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की जानकारी के लिए एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट अर्थात् https://rrb.indianrailways.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें। अभ्यर्थी एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट अर्थात् https://rrb.indianrailways.gov.in के माध्यम से अलग-अलग आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं।

a) ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी की वैधता को मूल दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी।

b) महत्वपूर्ण:
(i) चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट अर्थात् https://rrb.indianrailways.gov.in के माध्यम से अलग-अलग आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएँगी।

(ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर एवं व्यक्तिगत ई-मेल आईडी सक्रिय रखनी होगी, ताकि एसएमएस और/या ई-मेल के माध्यम से सूचनाएँ भेजी जा सकें।
(iii) आरआरबी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पते में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।
(iv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों तथा आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपना पंजीकरण नंबर (Registration Number) सावधानीपूर्वक नोट कर लें और याद रखें।

19. आवेदन में संशोधन

19.1 ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से जमा करने के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी किसी विवरण में संशोधन करना चाहता है, तो वह प्रति अवसर ₹250/- का गैर-वापसी योग्य संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। हालाँकि, 'Create an Account' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी सहित) तथा चयनित RRB में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

19.2 संशोधन शुल्क सभी अभ्यर्थियों को, उनकी समुदाय एवं श्रेणी से निरपेक्ष, भुगतान करना होगा।

19.3 यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी SC/ST से बदलकर UR, OBC या EWS करता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का अंतर अर्थात् ₹250 भी जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19.4 इसी प्रकार, यदि कोई अभ्यर्थी ExSM/महिला/ट्रांसजेंडर से UR/OBC (NCL)/EWS/गैर-भूतपूर्व सैनिक, पुरुष आदि श्रेणी में परिवर्तन करता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का अंतर अर्थात् ₹250 जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19.5 ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति कितनी भी बार दी जाएगी, बशर्ते प्रत्येक अवसर पर निर्धारित संशोधन शुल्क का भुगतान किया जाए।

19.6 जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, अर्थात् इस CEN के लिए 25.11.2026 (23:59 बजे) के बाद 10 (दस) दिनों तक संशोधन शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति होगी। संशोधन विंडो 28.11.2026 से 07.12.2026 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद RRB आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन संबंधी किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे।

20. अमान्य आवेदन / अस्वीकृति

20.1 अन्य कारणों के अतिरिक्त, निम्नलिखित आधारों पर ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं:

a) अलग-अलग आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन करना। ऐसी स्थिति में, सभी आवेदनों को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य में आयोजित होने वाली सभी आरआरबी एवं आरआरसी परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा।

b) अभ्यर्थी की लाइव फोटो इमेज लेने के संबंध में पैरा 16.5 में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी।

c) पैरा 16.6 के अंतर्गत हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा के किसी भी चरण में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

d) किसी RRB/RRC की प्रतिबंधित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थी का नाम होना।

e) आवेदन की जाँच के दौरान, सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर जारी होने से पहले या बाद में अथवा दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाई जाने वाली कोई अन्य अनियमितता।

20.2 अस्वीकृत आवेदन: अस्वीकृत आवेदनों का विवरण अभ्यर्थी एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर लॉग-इन करके देख सकते हैं। इसमें आवेदन अस्वीकृत किए जाने के कारण भी दिए जाएँगे, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे तथा इस संबंध में आगे किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों एवं ई-मेल आईडी पर एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से सूचनाएँ भी भेजी जाएँगी। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

21. ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश

21.1 सीबीटी, सीबीएटी एवं दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के कार्यक्रम तथा ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिंक से संबंधित जानकारी एवं विवरण, एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएँगे। पात्र अभ्यर्थियों को एसएमएस और/या ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों को एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि आरआरबी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से अभ्यर्थियों को एसएमएस/ई-मेल प्राप्त होने में विफलता हो सकती है।

21.2 पात्र अभ्यर्थी सीबीटी एवं सीबीएटी की तिथि से लगभग 4 (चार) दिन पहले पैरा 18 में उल्लिखित एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट से अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तथापि, परीक्षा शहर के संबंध में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।

21.3 अभ्यर्थियों को कोई भी कॉल लेटर डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

21.4 CBT, CBAT एवं DV से संबंधित विस्तृत जानकारी और निर्देश ई-कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना तथा उनका पूर्णतः पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।

21.5 निःशुल्क यात्रा सुविधा: पात्र SC एवं ST अभ्यर्थी, जो निःशुल्क रेल यात्रा का विकल्प चुनते हैं, उनके ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर श्रेणी का रेलवे पास) शामिल होगा। ऐसे SC एवं ST अभ्यर्थी टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल लेटर तथा SC/ST प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करके रेल आरक्षण करा सकेंगे। यात्रा के दौरान SC एवं ST अभ्यर्थियों को अपना मूल समुदाय प्रमाणपत्र तथा निर्धारित प्रारूप में पहचान का मूल प्रमाण साथ रखना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा तथा नियमानुसार शुल्क वसूल किया जाएगा।

21.6 परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को अपना ई-कॉल लेटर तथा फोटोयुक्त पहचान-पत्र का वैध मूल दस्तावेज़ परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा। पहचान-पत्र के उदाहरण हैं-मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का रंगीन प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान-पत्र, तथा अध्ययनरत होने की स्थिति में स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का फोटो पहचान-पत्र आदि। ऐसा न करने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

21.7 सीबीटी/सीबीएटी/दस्तावेज़ सत्यापन (DV)/चिकित्सा परीक्षण (ME) के दौरान, अभ्यर्थियों को, यथास्थिति, सीबीटी/ सीबीएटी/ DV/ME की तिथि से दो माह से अधिक पुराना न होने वाला एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा।

21.8 चेतावनी: अभ्यर्थियों को स्व-घोषणा अनुच्छेद लिखना, हस्ताक्षर करना तथा बाएँ अंगूठे का निशान (LTI) लगाना केवल CBT/CBAT के परीक्षा केंद्र पर, परीक्षा कक्ष में निरीक्षक की उपस्थिति में ही करना होगा तथा परीक्षा समाप्त होने से पहले इसे निरीक्षक को सौंपना होगा। स्व-घोषणा अनुच्छेद पहले से लिखने और/या बड़े अंग्रेज़ी अक्षरों (CAPITAL LETTERS) में हस्ताक्षर करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी।

21.9 RRB अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि एवं सत्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।

22. मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन एवं प्रमाणपत्रों का प्रारूप

22.1 दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को DV के समय अपने सभी मूल दस्तावेज़ों के साथ उनकी दो-दो स्व-सत्यापित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

22.2 इसके अतिरिक्त, इन अभ्यर्थियों को DV की तिथि से पहले पोर्टल https://oirms-ir.gov.in/rrbdv/ पर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर की वास्तविक रंगों में स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करनी होंगी।

22.3 सभी प्रमाण-पत्र केवल अंग्रेज़ी या हिंदी में होने चाहिए। जिन प्रमाण-पत्रों की भाषा अंग्रेज़ी/हिंदी नहीं है, उनके स्व-सत्यापित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेज़ी में) जहाँ भी/जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किए जाने चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूपों में ही होने चाहिए। तथापि, यदि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग–गैर-क्रीमी लेयर (OBC-NCL)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए निर्धारित प्रारूपों में आधिकारिक भाषा के अतिरिक्त किसी अनुसूचित भाषा में भी जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

22.4 DV की तिथि पर मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

22.5 दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणियाँ

a) जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के अंतर्गत विचार किए जाने अथवा आयु में छूट का लाभ लेने के इच्छुक हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित/संबंधित प्रमाणपत्र मूल रूप में तथा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर SC/ST/OBC-NCL/EWS/ExSM स्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि वे पात्र हैं, तो उनकी उम्मीदवारी/आवेदन को सामान्य (UR) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्र संलग्न अनुलग्नकों में दिए गए प्रारूपों के अनुसार होने चाहिए।

b) किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

c) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र, अर्थात् अनंतिम (Provisional) या नियमित (Regular), पर जारी करने की तिथि अंकित होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद की है, तो अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि सहित समेकित अंकतालिका अथवा प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष की अलगअलग-अंकतालिकाएँ, जिन पर परिणाम घोषित होने की तिथि अंकित हो, प्रस्तुत करनी होंगी। यदि इनमें से किसी अंकतालिका/प्रमाणपत्र पर तिथि उपलब्ध नहीं है, तो दस्तावेज़ सत्यापन के समय संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें परिणाम घोषित होने की तिथि का उल्लेख हो।

23. अनुचित साधनों का उपयोग

23.1 यदि कोई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है, जैसे जालसाजी, प्रतिरूपण, नकल, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण या उन्हें छिपाना, गलत जानकारी देना अथवा झूठा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आदि, तो उसे सभी RRB एवं RRC की सभी परीक्षाओं में शामिल होने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में नियुक्ति के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा यदि वह पहले से नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध उपयुक्त समझी जाने वाली कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। [ध्यानार्थ: "सार्वजनिक परीक्षाएँ (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम एवं नियम, 2024", दिनांक 31.07.2026 को यथा संशोधित।]

23.2 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी अवांछित या अनुचित प्रभाव का उपयोग करने पर संबंधित अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा भर्ती प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा।

23.3 चेतावनी: रेलवे में प्रभाव या अनुचित एवं अनैतिक साधनों के माध्यम से नियुक्ति दिलाने का दावा करने वाले बेईमान तत्वों तथा नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों से सावधान रहें। RRB भर्ती के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं करते हैं। अभ्यर्थियों को किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जाने वाले ऐसे दावों से सावधान किया जाता है। अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया जाता है।

23.4 आरआरबी परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के बाद व्यापक विश्लेषण करते हैं। इसमें परीक्षा लॉग का विश्लेषण, फोटो, हस्ताक्षर एवं लिखित अनुच्छेद की विस्तृत जाँच, बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो पहचान-पत्र का सत्यापन तथा परीक्षा के सभी चरणों की सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की कदाचारपूर्ण गतिविधि या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना तथा भविष्य में सभी आरआरबी एवं आरआरसी की परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित करना शामिल है।

24. विविध

24.1 भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। यदि किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है, तो संबंधित RRB अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने तथा उसके आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

24.2 RRB किसी भी अभ्यर्थी की पहचान की पुनः पुष्टि करने तथा पृष्ठभूमि की जाँच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएँ अपनाने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

24.3 RRB किसी भी चरण में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त CBT/DV/ME आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। RRB इस CEN के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए भर्ती प्रक्रिया के किसी भाग या संपूर्ण प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी बाधाओं/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण RRB किसी भी CBT/DV/ME को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं।

24.4 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, निःशुल्क रेल पास जारी करना, गलत जानकारी देने पर दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, CBT का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित अभ्यर्थियों को पद आवंटित करना आदि से संबंधित सभी मामलों में RRB का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में RRB द्वारा किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

24.5 अनजाने में हुई या टंकण संबंधी त्रुटियों के लिए RRB जिम्मेदार नहीं होंगे तथा ऐसी त्रुटियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यदि ऐसी किसी त्रुटि के कारण कोई अभ्यर्थी CBT/DV के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाता है, उसका परिणाम घोषित हो जाता है, उसे पैनल में शामिल कर लिया जाता है या नियुक्त कर दिया जाता है, तो RRB परिणामों को रद्द/संशोधित करने तथा ऐसे अभ्यर्थियों का पैनल में शामिल होना रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यदि अभ्यर्थी पहले से नियुक्त है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है। ऐसा करते समय मेरिट के सिद्धांत तथा अवसर की समानता के मूल आधार को सुनिश्चित किया जाएगा।

24.6 इस CEN से संबंधित कोई भी कानूनी विवाद, यदि अभ्यर्थी का आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है और उसे CBT के लिए ईकॉल- लेटर प्राप्त हो गया है, तो उस संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/उच्च न्यायालय के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा, जहाँ अभ्यर्थी द्वारा चयनित संबंधित RRB स्थित है। हालाँकि, यदि किसी भी कारण से आवेदन अस्वीकृत होने के कारण अभ्यर्थी की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाती है, तो इस CEN से संबंधित कोई भी कानूनी विवाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर/राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा।

24.7 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित अधिसूचना के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी प्राप्त करने तथा आवश्यकतानुसार कार्रवाई करने के लिए एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

24.8 व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर प्रकाशित अधिसूचना के अंग्रेज़ी संस्करण तथा उसके बाद जारी किए गए संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना को अंतिम माना जाएगा।

25. इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

भर्ती प्रक्रिया के चरण	CBT = कंप्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test), CBAT = कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (Computer Based Aptitude Test), DV = दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification), ME = चिकित्सा परीक्षण (Medical Examination)
आरक्षण / आयु में छूट की श्रेणी	EBC = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Economically Backward Class), ExSM = भूतपूर्व सैनिक (Ex-Serviceman), EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section), OBC-NCL = अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन-क्रीमी लेयर (Other Backward Classes – Non-Creamy Layer), OBC-CL = अन्य पिछड़ा वर्ग – क्रीमी लेयर (Other Backward Classes – Creamy Layer), SC = अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), ST = अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe), UR = अनारक्षित (Unreserved)
रेलवे ज़ोन	CR = मध्य रेलवे (Central Railway), ECR = पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway), ECoR = पूर्व तट रेलवे (East Coast Railway), ER = पूर्व रेलवे (Eastern Railway), NR = उत्तर रेलवे (Northern Railway), NCR = उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway), NER = पूर्वोत्तर रेलवे (North Eastern Railway), NFR = पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway), NWR = उत्तर पश्चिम रेलवे (North Western Railway), SCoR = दक्षिण तट रेलवे (South Coast Railway), SR = दक्षिण रेलवे (Southern Railway), SCR = दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway), SER = दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway), SECR = दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (South East Central Railway), SWR = दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway), WR = पश्चिम रेलवे (Western Railway), WCR = पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway), RRB = रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board), RRC = रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (Railway Recruitment Cell)
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs)	ADI = अहमदाबाद, AII = अजमेर, PRYJ = प्रयागराज, BCT = मुंबई, BBS = भुवनेश्वर, BPL = भोपाल, BSP = बिलासपुर, BNC = बेंगलुरु, CDG = चंडीगढ़, GKP = गोरखपुर, GHY = गुवाहाटी, JAT = जम्मू-श्रीनगर, KOAA = कोलकाता, MAS = चेन्नई, MLDT = मालदा, MFP = मुजफ्फरपुर, PNBE = पटना, RNC = राँची, SC = सिकंदराबाद, SGUJ = सिलीगुड़ी, TVC = तिरुवनंतपुरम
सामान्य	CEN = केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (Centralised Employment Notification), RTI = दाएँ अंगूठे का निशान (Right Thumb Impression), LTI = बाएँ अंगूठे का निशान (Left Thumb Impression), PSU = सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking), PU = उत्पादन इकाई (Production Unit), NOC = अनापत्ति प्रमाणपत्र (No Objection Certificate), IFSC = भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (Indian Financial System Code), UPI = एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface), EQ = शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification), OTP = एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड (One Time Password), KB = किलोबाइट (Kilobyte), JPEG = जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप (Joint Photographic Experts Group). OTR= वन टाइम रजिस्ट्रेशन (One Time Registration), CPC= केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission)

चेतावनी:

- रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए प्रभाव का उपयोग करने अथवा अनुचित एवं अनैतिक तरीकों से नौकरी सुनिश्चित कराने के झूठे आश्वासन देकर धोखा देने वाले दलालों एवं नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों से सावधान रहें। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है। अभ्यर्थियों को ऐसे व्यक्तियों या एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के दावों से सावधान किया जाता है। अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फँसें। RRB को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट का ही अवलोकन करें तथा असामाजिक तत्वों/दलालों द्वारा संचालित फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री से सावधान रहें।**

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) संख्या - 08/2026 पोस्ट पैरामीटर

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी पे लेवल	प्रारंभिक वेतन	चिकित्सा मानक	दिव्यांगजन (PwBD) के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
					VI	HI	LD	OD	MD	
1	स्टेशन मास्टर	6	35400	A2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता।

Annexure-B

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) - 08/2026 (स्टेशन मास्टर)									
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs) एवं रेलवे ज़ोन-वार रिक्तियों का विवरण									
श्रेणी संख्या	रेलवे भर्ती बोर्ड	रेलवे ज़ोन	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM
1	अहमदाबाद	WR	13	5	2	7	4	31	4
2	अजमेर	NWR	23	3	1	7	15	49	5
3	अजमेर	WCR	6	1	0	4	1	12	1
4	प्रयागराज	NCR	44	15	7	28	10	104	10
5	प्रयागराज	NR	3	1	1	2	1	8	1
6	बेंगलुरु	SWR	52	12	10	22	6	102	11
7	भोपाल	WCR	21	8	2	13	5	49	5
8	भोपाल	WR	5	2	1	4	1	13	1
9	भुवनेश्वर	ECR	9	2	1	4	7	23	3
10	बिलासपुर	CR	6	0	2	1	3	12	1
11	बिलासपुर	SECR	23	7	4	13	5	52	6
12	चंडीगढ़	NR	19	3	1	4	1	28	3
13	चेन्नई	SR	47	19	8	32	13	119	12
14	गोरखपुर	NER	1	4	9	0	4	18	3
15	गुवाहाटी	NFR	16	5	2	10	4	37	4
16	जम्मू–श्रीनगर	NR	50	18	9	33	12	122	12
17	कोलकाता	ER	11	5	3	9	4	32	3
18	कोलकाता	SER	3	0	0	1	1	5	1
19	मालदा	ER	0	0	4	0	0	4	0
20	मुंबई	CR	54	18	11	32	10	125	12
21	मुंबई	SCR	19	4	2	0	3	28	3
22	मुंबई	WR	10	3	2	7	2	24	2
23	मुज़फ्फरपुर	ECR	5	2	1	4	2	14	2
24	पटना	ECR	5	2	5	3	2	17	2
25	राँची	ECR	6	2	1	4	2	15	2
26	राँची	SER	4	7	0	1	0	12	1
27	सिकंदराबाद	SCR	3	1	1	0	0	5	1
28	सिकंदराबाद	SCoR	32	6	3	12	12	65	7
29	सिलीगुड़ी	NFR	10	4	2	7	3	26	3
30	तिरुवनंतपुरम	SR	42	17	9	32	14	114	12
TOTAL			**542**	**176**	**104**	**296**	**147**	**1265**	**133**

Annexure-I

FORMAT OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST CANDIDATES

This is to certify that Shri*/ Srimati/ Kumari* . . . . . son / daughter* of . . . . . Village/Town . . . . . / District / Division* . . . . . of the . . . . State / Union Territory* belongs to the.....Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe under: -

@The Constitution Scheduled Castes Order 1950.
@The Constitution Scheduled Tribes Order 1950.
@The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;
@The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;
[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order 1956, the Bombay Reorganisation Act 1960, the Punjab Re- organisation Act 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders, (Amendment) Act 1976]
@The Constitution (Jammu and Kashmir) * Scheduled Castes Orders, 1956
@The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) * Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled *Tribes Orders (Amendment) Act, 1976
@The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) * Scheduled Castes Order, 1962.
@The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962
@The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Orders, 1964
@The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
@The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
@The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
@The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
@The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
@The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
@The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.
@The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990
@The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991
@The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996
@The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002
@The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
@The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.
@The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007
As amended from time to time.

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Srimati* .....father/mother*of Shri/Srimati/Kumari…….…… of Village / Town *……..……in / District / Division *……of the State / Union Territory* …… who belongs to the …… Caste* / Tribe which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe in the State / Union Territory* issued by the …… dated……..

%3. Shri/Srimati/Kumari*…… and/or* his/her* family ordinarily resides in Village/Town*……. District/Division*…… of the State/Union Territory* of …….

Place……
Date…….

Signature.....
Designation .....
(with seal of Office)

*Please delete the words which are not applicable
@ Please quote the specific presidential order.
% Delete the Paragraph, which is not applicable.

State/ Union Territory……

Note:
(a) The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:

1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / City Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate/ Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of First-Class Stipendiary Magistrate).
2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and /or his / her family normally reside(s).
5. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned.
6. Administrator /Secretary to Administrator (Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands).

Annexure-II

FORMAT FOR OBC-NCL CERTIFICATE

FORMAT OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL)

APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kum.*.....Son/Daughter* of Shri/Smt.*……
…….……of Village/Town*..... District/Division*..... in the State/Union Territory

Belongs to the ..... community that is recognized as a backward class under Government of India, Ministry

of Social Justice and Empowerment's Resolution No .....dated……**

Shri/Smt./Kum……
……..…….. and/or his/her family ordinarily reside(s) in the ……..…… District/Division of the ……. State/Union Territory.

This is also to certify that he/she does NOT belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated: 08/09/93 and modified vide GOI DOPT OM No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 13/09/2017***

Dated: ……..

District Magistrate/Deputy Commissioner/

Any other Competent Authority

Office Seal

* Please delete the word(s) which are not applicable.

** The authority issuing the certificate needs to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

*** As amended from time to time.

NOTE:

a) The term 'Ordinarily resides' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:

(i) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his family resides.

Annexure-IIA

SELF DECLARATION BY OBC(NCL) CANDIDATE

Proforma for declaration to be submitted by Other Backward Class Candidates during Document Verification, who had applied for posts against Centralised Employment Notice No:08/2026

"I, ……..…… son/daughter of Shri …..…… resident of Village/Town/City ..... District……

State……..... hereby declare that I belong to the …….. (indicate your sub-caste) community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.1993 and its subsequent revision through O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 13.09.2017." as on the date of submission of the application.

Place: **Signature of the candidate: ……..**

Date: **Name Of the candidate……..**

RRB REGN. No……

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWS)

Government of .....

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

Certificate No. ..... Date: .....

VALID FOR THE YEAR .....

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari .....
Son/daughter/wife of ..... permanent resident of ……..
Village/Street ..... Post Office …… Dist …… in the …… State/Union Territory ..... PIN Code…… whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"** is below ₹8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year…… His/her family does not own or possess any of the following assets***:

(i) 5 acres of agricultural land and above.
(ii) Residential flat of 1000 sq. ft and above.
(iii) Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities.
(iv) Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

Shri/Smt./Kumari .....belongs to the ..... caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Recent Passport sizePhotographof the Applicant.

Tobeattestedbythe authorityissuingthis certificate

Signature with seal of

Office .....

Name .....

Designation.……

***Note 1:** Income covered all sources i.e., salary, agriculture, business, profession, etc.
****Note 2:** The term "Family" for this purpose includes the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents, and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.
*****Note 3**: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

The authorities competent to issue Income and Asset Certificate are indicated below:

I. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector/ Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
II. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
III. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
IV. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
V. Authority as decided by the concerned State/UT Government.

IncomeCertificateforEconomicallyBackwardClasscandidates

Proforma for Waiver of Examination Fees to be submitted by Economically Backward Class (EBC) candidates at the time of document verification against Centralised Employment Notice No: 08/2026.

Certificate No. …… **Date:……..**

1. Name of Candidate: ……
2. Father's Name: ……
3. Age: ……
4. Residential Address: ……
5. Annual Family Income (In words & figures): … … …

Annexure-V

DECLARATION

Proforma for Waiver of Examination Fees to be submitted by Minority candidates at the time of Document verification against Centralised Employment Notice No: 08/2026

"I,……
son/daughter of Shri
……
resident of village / town / city ..... district …… State
…….... hereby declare that I belong to the
……..……[indicate minority community notified by Central Government i.e., Muslim/ Sikh/ Christian/ Buddhist/ Jain/ Zoroastrians (Parsis)]."

Date: **Signature of the Candidate**

Place: **Name of the Candidate**

Note: At the time of document verification such candidates claiming waiver of examination fee will be required to furnish 'Minority Community Declaration' affidavit on Non-Judicial Stamp paper that he/ she belongs to any of the minority community notified by Central Government (i.e., Muslim / Sikh / Christian / Buddhist/ Jain/ Zoroastrians (Parsis).

Annexure-VI

Proforma for Medical Certificate to be obtained from an Eye Specialist by candidates applying for the posts of Station Master.

(TO BE SUBMITTED ON CBAT EXAM DAY)

Paste self-attested recent passport size photograph of the candidate not more than one month old
Signature of candidate in the above box below the photograph

I have checked up Smt./Shri/Kumari……..…… ……..... who has applied for the post of Station Master in Railways. The acuity of vision/colour vision of his/her has been tested in view of the following standards required for appointment on the Railways.

Post	Class	Distant vision	Near vision	Colour vision Ishihara
Station Master	A-2	6/9, 6/9 without glasses (No fogging test)	Sn0.6/0.6 Without glasses	Normal

Smt./Shri/Kumari ..... fully conforms to The above vision standards as applicable for the post of Station Master.

Note: **Candidates who have undergone Lasik surgery or any other surgery procedure to correct refractory error are not eligible for the post having Medical Standard A-2**

Place:
Date:

Signature of the Eye Specialist……..

Name of the Eye Specialist……..……

Registration No. of the Eye Specialist…….....

Seal of the Eye Specialist

Annexure-VI A

Proforma for Medical Certificate to be obtained from an Eye Specialist by candidates applying for the posts of Station Master.
(For Ex-Servicemen Candidates Only)

(TO BE SUBMITTED ON CBAT EXAM DAY)

Paste self-attested recent passport size photograph of the candidate not more than one month old
Signature of candidate in the above box below the photograph

I have checked up Smt./Shri/Kumari……..…… . . . . who has applied for the post of Station Master in Railways. The acuity of vision/colour vision of his/her has been tested in view of the following standards required for appointment on the Railways.

Post	Class	Distant vision	Near vision	Colour vision Ishihara
Station Master	A-2	6/12,6/18 or 6/9, 6/18 with or without glasses. Naked eye vision not less than 6/60. Power of lens not to exceed 6D	The combined near vision with or without glasses should be the ability to read ordinary print. Where reading or close work is required, combined near vision with or without glasses should be Sn. 0.6.	Normal

Smt./Shri/Kumari ..... fully conforms to The above vision standards as applicable for the post of Station Master.

Note: **Candidates who have undergone Lasik surgery or any other surgery procedure to correct refractory error are not eligible for the post having Medical Standard A-2**

Place:
Date:

Signature of the Eye Specialist……
Name of the Eye Specialist……..
Registration No. of the Eye Specialist……

Seal of the Eye Specialist

Annexure-VI B

Proforma of Self Declaration to Be Submitted By Candidates Applying for the Post of Station Master Regarding Lasik or Other Corrective Eye Surgery Against CEN No. 08/2026

I,Shri/Smt./Kum.……Son/Daughter of…… Resident of…….. hereby declare that I have not undergone LASIK or any other corrective eye surgery.

I also agree that in case my declaration is found to be false, I shall be immediately disqualified and debarred from all recruitment in the Railways.

Place: ……..

Date: ……

Signature: ……..

Name: ……

RRB Reg. No. ……

Annexure-VI C

FOR CANDIDATES INFORMATION ONLY

MEDICAL FITNESS OF CANDIDATES WHO HAVE UNDERGONE LASIK SURGERY

Railway Board letter 2022/H/5/1/NER/Dalbir dated: 25.08.2022

Description	**Medical Examination Category**	**Remarks**
Candidates Who have undergone LASIK Surgery	A1 (AYE ONE) A2 (AYE TWO) A3 (AYE THREE)	Unfit
	B1 (BEE ONE) & B2 (BEE TWO)	"FIT" Subject to the following criteria being met: 1. No complications related to LASIK Surgery following LASIK Surgery are observed in the Candidate. 2. LASIK Surgery should be at least of one year duration and the same should be substantiated with a Medical Certificate issued by the specialist of the Institution where surgery was performed. 3. "Residual Corneal Thickness" post LASIK Surgery should not be less than 425 microns on pachymetry. 4. The visual acuity as per para 512(1)(A) of IRMM Vol I, 3rd edition 2000. 5. Fundus should be normal. 6. No evidence of progressive Eye disease.
	C1 (CEY ONE) & C2 (CEY TWO)	"FIT"

Annexure-VII

PROFORMA OF CERTIFICATE FOR EMPLOYED OFFICIALS (EX-SERVICEMAN)

1. It is informed that Shri/Kum. /Smt._____ working as _____ (Rank) in _____ (Unit/office) has applied for the post of _____ as advertised by _____ (name of recruiting agency) vide Advt. No. _____ dated _____.

2. I hereby, with the information available, certify in respect of Shri/Kum. /Smt. _____ (Name) No. _____ (Rank), as follow: -

i. He/She will be completing the prescribed period of engagement of _____ years (in words) for acquiring Ex-serviceman status, subject to fulfillment of other condition, on _____ (date). Shri/Kum/Smt. _____ shall complete _____ years of service (in words) on the date of No Objection Certificate and _____ years of service (in words) at the time of leaving of military service.

ii. He/She will be released on selection to the post.

Place: Commanding Officer

Signature

Date:

Office Seal

Annexure-VII A

DECLARATION TO BE SUBMITTED BY EX-SERVICEMEN CANDIDATES REGARDING CIVIL EMPLOYMENT BY AVAILING EX-SERVICEMEN QUOTA

I understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-Service men in regard to the recruitment covered by this Centralised Employment Notice (CEN), if Ihave at any time prior to such appointment secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertaking, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.), by availing of the concession of reservation of vacancies admissible toEx-servicemen.

I also hereby declare the following facts:

a) I have not secured any civil employment by availing Ex-Servicemen quota, before attending for document verification for the posts of CEN.....

b) I have availed Ex-Servicemen quota for securing civil employment and I have given self-declaration/undertaking to my employer about the details of application(s) for various vacancies notified in CEN for which I have applied for, before joining the civil employment. Certificate for submission of self-declaration/ undertaking from the present Employer is enclosed.

(Strike out whichever is not applicable).

Place …….. **Signature.....**

Date: …… **Name.....**

RollNo:.....

Annexure-VIII

Online Ref. No._____<Date & Time ofsubmission>

[THIS FORM IS GENERATED ONLINE AND THE SAME SHOULD NOT BE FILLED MANUALLY]

Certificate to be signed by the Gazetted Officer

PHOTGRAPH TO BE ATTESSTED BY

NameoftheCandidate:_____

Registration No.:_____

PHOTOGRAPH TO BE ATTESTED BY GAZETTED OFFICER

It is certified that Mr./Ms._____ S/o / D/o Shri/ Smt. _____residing at _____

_____is applying for CEN 08/2026 of RRB with Registration No._____ and his/ her latest photograph matches with the photo that in the application form.

Name of Attesting Authority: _____

Designation: _____

Signature: _____

Stamp / Seal of Gazetted Officer:

Date: _____

Place: _____

Note:

i. The signature of theattesting authority should be affixed in such a manner that it appears partly on the certificate and partly on the latest photograph (not covering the face).